

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 969/2022

सुदेश तनेजा पत्नी श्री सी पी तनेजा, निवास स्थान 58, कॉस्मो कॉलोनी, वैशाली नगर,
जयपुर, राजस्थान, 302021

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयकर अधिकारी, प्रभाग-1(3), जयपुर का पता न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग,
भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान, 302005
2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011 इसके
अध्यक्ष के माध्यम से।

----प्रत्यर्थागण

से संबद्ध

1. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9012/2021

गोपाल दास सोनकिया, पुत्र स्वर्गीय श्री भगवान दास खंडेलवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्था

2. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 10483/2021

उषा गोलचा पत्नी श्री सुरेंद्र कुमार गोलचा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

---- प्रत्यर्था

3. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 10485/2021

मुकेश कपूर पुत्र श्री सुरेश चंद्र कपूर

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

---- प्रत्यर्थी

4. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 14533/2021

आनंद कुमार मोदी पुत्र गजानंद मोदी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी का कार्यालय का कार्यालय

---- प्रत्यर्थी

5. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14704/2021

प्रहलाद राय राठी (एचयूएफ)

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी का कार्यालय

---- प्रत्यर्थी

6. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14706/2021

श्री कृष्ण कुमार परवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

---- प्रत्यर्थी

7. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14707/2021

श्रीमती सुलोचना अग्रवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

---- प्रत्यर्थी

8. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 15174/2021

श्री मोढ़. रफीक पुत्र स्व. अदुल कय्यूम खान

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

---- प्रत्यर्थी

9. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15177/2021

गिरिराज सिंह हाड़ा पुत्र स्वर्गीय महाराज तेजराज सिंह जी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

---- प्रत्यर्थी

10. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 181/2022

इंद्रजीत साहनी पत्नी सुरेंद्र पाल सिंह साहनी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

---- प्रत्यर्थी

11. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 301/2022

प्रवीण शर्मा पुत्र स्वर्गीय आर.सी. शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

---- प्रत्यर्थी

12. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 419/2022

संजीव सिंह चोधरी पुत्र श्री भंवर सिंह

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

13. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 508/2022

प्रीति बखशी, डॉ. संदीप बखशी की पत्नी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

14. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 527/2022

स्टिलोक्राफ्ट

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

15. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 561/2022

प्रीति बखशी डॉ. संदीप बखशी की पत्नी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

16. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 575/2022

अब्दुल बासित पुत्र श्री अब्दुल बकुल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

17. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 590/2022

मोहम्मद सलीम मनियार पुत्र श्री अब्दुल मनियार

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

18. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 595/2022

मोहम्मद सलीम मनियार पुत्र श्री अब्दुल मनियार

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

19. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 597/2022

मोहम्मद रफीक मनियार पुत्र श्री मोहम्मद सलीम मनियार

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

20. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 600/2022

श्रीमती उर्सुला जोशी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जोशी की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

संयुक्त आयकर आयुक्त (जेसीआईटी)

----प्रत्यर्थी

21. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 611/2022

राज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राम स्वरूप अग्रवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

22. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 627/2022

परसराम लालवानी पुत्र श्री गोविंद राम

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

23. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 651/2022

प्रीति बखशी डॉ. संदीप बखशी की पत्नी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

24. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 685/2022

कांति प्रसाद शर्मा पुत्र श्री नरोत्तम प्रसाद शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

25. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 888/2022

बी. लोढ़ा सिक्योरिटीज लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

26. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 909/2022

महेंद्र कुमार गंगवाल हफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

27. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 918/2022

रविकांत पुरोहित की पत्नी सविता पारीक

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

28. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 953/2022

विनोद कुमार बंब पुत्र श्री रतन लाल बुम्ब

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

29. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 996/2022

मणिकांत गर्ग, पुत्र भंवर लाल गर्ग

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

30. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 8311/2021

विनोद कुमार रूंगटा, पुत्र श्री आनंदीलाल रूंगटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त/उपायुक्त आयकर

----प्रत्यर्थी

31. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 8480/2021

निर्मल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर के उप आयुक्त

----प्रत्यर्थी

32. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 8747/2021

कमलेश डांगायच पुत्र श्री हरिराम खंडेलवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

33. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 8755/2021

हरि मोहन डांगायच, पुत्र श्री राम बिलास डांगायच

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

34. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 8768/2021

प्रशांत गुप्ता पुत्र श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

35. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9235/2021

इंद्राणी बोथरा पत्नी श्री एस सी बोथरा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

36. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9236/2021

महिमा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

37. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9248/2021

एम.एम. रियल्टी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

38. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9254/2021

धीरेंद्र मदान, पुत्र श्री दास राम मदन

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

39. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9259/2021

मॉनिटर रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, प्रभाग 2(1), कोलकाता

----प्रत्यर्थी

40. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9319/2021

पूरन मल मीणा पुत्र काना राम मीणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

41. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9342/2021

अमरोस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आईटीओ प्रभाग 4(2)

----प्रत्यर्थी

42. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9763/2021

विपुल प्रिमाइसेस एलएलपी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

43. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9764/2021

दिनेश कुमावत पुत्र श्री छोटूराम कुमावत

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी प्रभाग 6(2), जयपुर

----प्रत्यर्थी

44. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9765/2021

छोटू राम कुमावत हुफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

45. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9766/2021

श्री रामेश्वर लाल के पुत्र नेमी चंद

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

46. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9830/2021

विभिषेक पाल सिंह पुत्र श्री अजय पाल सिंह

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

47. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9837/2021

यूनिक मधुबन होम्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

48. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9838/2021

मेट्रो कैब्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

इनकम टैक्स प्रभाग

----प्रत्यर्थी

49. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9839/2021

यूनिक अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

50. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9891/2021

यूनिक पायनियर होम्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

51. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9892/2021

यूनिक रियलमार्ट एलएलपी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर

----प्रत्यर्थी

25. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 10037/2021

सुनील गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

53. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 10154/2021

संतोष कुमार

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

54. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 10260/2021

मेसर्स शिव वेगप्रो प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर उपायुक्त, सर्किल-2

----प्रत्यर्थी

55. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 10493/2021

अभिमन्यु गोलचा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गोलचा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

56. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 10499/2021

सुरेन्द्र कुमार गोलचा पुत्र श्री एच.सी.गोलचा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

57. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 10734/2021

स्वर्गीय श्री नंदकिशोर खंडेलवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

58. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 10745/2021

स्वर्गीय श्रीमती बादामी देवी खंडेलवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

59. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11092/2021

सुचिता जोशी पत्नी श्री अमित जोशी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

60. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11411/2021

बुद्धि प्रकाश शर्मा पुत्र हर्ष नारायण शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय

----प्रत्यर्थी

61. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11429/2021

कुसुम शर्मा पुत्री हरि नारायण गोस्वामी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

62. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11628/2021

अनीता इंगायच पत्नी श्री राजेश कुमार गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

63. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11632/2021

एकको प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

64. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11635/2021

राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री नंद किशोर खंडेलवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

65. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11636/2021

नवजीवन रिसॉर्ट्स एंड हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

66. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11637/2021

विजय इंगायच हफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर के सहायक आयुक्त

----प्रत्यर्थी

67. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11647/2021

शोभा डांगायच पत्नी स्वर्गीय श्री विजय इंगायच

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

68. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11722/2021

पदम चंद जैन पुत्र श्री राम करण जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

69. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11809/2021

पुनीत प्रताप सिंघल पुत्र श्री धुर्वा प्रकाश सिंघल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

70. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11817/2021

आइकॉनिक फैशन रिटेलिंग प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

71. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11840/2021

समर्थ लाइफस्टाइल रिटेलिंग प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त / आयकर उपायुक्त

----प्रत्यर्थी

72. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11866/2021

विजय कुमार मेहता पुत्र श्री हस्ती चंद मेहता

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

73. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 12772/2021

गुलाबचंद शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

74. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 12886/2021

श्री सुशील कुमार बंसल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

75. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 12970/2021

संजोग स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

76. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 12971/2021

पंकज जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

77. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13183/2021

गोपाल लाल धामानी पुत्र श्री राम रतन धामानी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

78. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13296/2021

रॉयल कॉन्सेप्ट डेवलपर्स

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

79. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13393/2021

हनुमान दास बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

80. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13404/2021

गौरव धामानी पुत्र श्री गोपाल लाल धामानी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

81. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13487/2021

आशा खुंटेटा पत्नी श्री संदीप खुंटेटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

82. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13500/2021

मनीष खुंटेटा पुत्र स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार खुंटेटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

83. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13520/2021

मनीष खुंटेटा पुत्र स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार खुंटेटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

84. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13521/2021

मनीष खुंटेटा पुत्र स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार खुंटेटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

85. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13525/2021

मोहन लाल गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

86. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13532/2021

गौरव निगम पुत्र राजेंद्र कुमार निगम

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी का कार्यालय

----प्रत्यर्थी

87. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13559/2021

प्रकाश ओम चेलानी, श्री झूरामल चेलानी के पुत्र

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

88. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13560/2021

संजय कुमार जैन, पुत्र श्री केवल चंद जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

89. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13562/2021

प्रकाश ओम चेलानी, श्री झूरामल चेलानी के पुत्र

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

90. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13563/2021

प्रकाश ओम चेलानी पुत्र श्री झूरामल चेलानी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

91. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13571/2021

संजय कुमार जैन पुत्र श्री केवल चंद जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

92. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13573/2021

केवल चंद जैन पुत्र श्री जुहार मल जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

93. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13578/2021

केवल चंद जैन पुत्र श्री जुहार मल जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

94. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13702/2021

करण भाटिया पुत्र श्री सूरज भाटिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

95. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13704/2021

करण भाटिया पुत्र श्री सूरज भाटिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

96. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13715/2021

अर्चना इंगायच पत्नी श्री नवल किशोर इंगायच

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

97. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13726/2021

गुरुमुख दास

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

98. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13853/2021

शिव कुमार सोनी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

99. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13859/2021

सचिन गर्ग

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

100. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13862/2021

तिरुपति पल्सेस प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

101. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13929/2021

रघुकुल बिल्डटेक एलएलपी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

102. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13930/2021

राधेश्याम एंड कंपनी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

103. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13948/2021

प्रेरणा एग्रीकल्चरल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

104. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13992/2021

प्रकाश चंद कोठारी पुत्र श्री घिसीलाल कोठारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

105. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14005/2021

केजीके रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

106. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14011/2021

शिव कुमार सोनी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

107. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14056/2021

नाथू लाल कुलदीप

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

108. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14057/2021

अदिति मोदी, पुत्री श्री सिया सरन रावत

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

109. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14059/2021

निशि जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

110. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14072/2021

रेवरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया एलएलपी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

111. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14097/2021

संजीव कुमार झांझरिया पुत्र श्री मूल सिंह

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

112. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14132/2021

अरुणा मोदी पुत्री श्री मदन लाल खंडेलवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

113. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14134/2021

जितेंद्र मोदी पुत्र श्री राम गोपाल मोदी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

114. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14162/2021

स्वर्गीय श्री मोहन लाल अग्रवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

115. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14361/2021

अनीता बोहरा पुत्री श्री हीरा लाल बोहरा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

116. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14393/2021

गौरव अग्रवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी का कार्यालय

----प्रत्यर्थी

117. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14397/2021

गौरव अग्रवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी का कार्यालय

----प्रत्यर्थी

118. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14406/2021

सौरव अग्रवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी का कार्यालय

----प्रत्यर्थी

119. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14427/2021

मणि जैन पुत्री श्री विजय कुमार गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी प्रभाग-6(1)

----प्रत्यर्थी

120. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14473/2021

बैंक ऑफिस आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

121. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14501/2021

डॉ. अमिता बिड़ला

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर उपायुक्त

----प्रत्यर्थी

122. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14502/2021

डॉ. अमिता बिड़ला

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर उपायुक्त

----प्रत्यर्थी

123. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14503/2021

डॉ. अमिता बिड़ला

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर उपायुक्त

----प्रत्यर्थी

124. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14504/2021

डॉ. अमिता बिड़ला

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर उपायुक्त

----प्रत्यर्थी

125. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14506/2021

संजया देवी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

126. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14511/2021

डेनिम डेवलपर्स लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर उपायुक्त

----प्रत्यर्थी

127. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14522/2021

शुभ आंगन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

128. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14550/2021

वीरेंद्र कुमार धारीवाल पुत्र स्वर्गीय श्री रिखब चंद धारीवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

डीसीआईटी, सर्कल-2, कोटा

----प्रत्यर्थी

129. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14551/2021

वीरेंद्र कुमार धारीवाल पुत्र स्वर्गीय श्री रिखब चंद धारीवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

डीसीआईटी, सर्कल-2, कोटा

----प्रत्यर्थी

130. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14581/2021

सतीश कुमार अग्रवाल (एचयूएफ)

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

131. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14582/2021

वीरेंद्र कुमार धारीवाल पुत्र स्वर्गीय श्री रिखब चंद धारीवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

डीसीआईटी

----प्रत्यर्थी

132. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14603/2021

रास बिहारी रूंगटा पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद रूंगटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

133. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14664/2021

अजीत सिंह की बेटी गीता गुलिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

134. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14693/2021

श्रीमती दीपिका मालानी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

135. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14694/2021

श्री कृष्ण कुमार परवल

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

136. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14695/2021

एबीसी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

137. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14698/2021

प्रीति राठी पुत्री श्री सत्यनारायण मांगीलाल मुंगड़

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

138. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14699/2021

तरुण कुमार नाहटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

139. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14700/2021

तरुण कुमार नाहटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

140. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14701/2021

दीपा राठी पत्नी श्री संजय राठी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

141. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14702/2021

रतन श्री

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

142. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14703/2021

योगेश सिंह शेखावत पुत्र श्री रूप सिंह शेखावत

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

143. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14741/2021

श्रीमती बसंती देवी परवल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

144. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14742/2021

श्री अंकेश अग्रवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

145. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14743/2021

श्रीमती सुनीता परवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

146. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14783/2021

नीलेश सोनी पुत्र सीताराम सोनी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर विभाग

----प्रत्यर्थी

147. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14791/2021

मनीष बंसल पुत्र श्री नवल किशोर बंसल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

148. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14792/2021

राजस्थान डिजिटल टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आईटीओ प्रभाग 6(2)

----प्रत्यर्थी

149. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14794/2021

नीलेश बंसल पुत्र श्री गिराज प्रसाद बंसल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

150. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14795/2021

मुकेश पुत्र श्री श्योजी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

151. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14799/2021

सुनील कुमार जैन पुत्र श्री धनराज जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

152. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14800/2021

नीलेश बंसल पुत्र श्री गिराज प्रसाद बंसल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

153. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14805/2021

मुकेश पुत्र श्री श्योजी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

154. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14806/2021

मनीष बंसल पुत्र श्री नवल किशोर बंसल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

155. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14808/2021

मोहम्मद शकील पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

156. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14810/2021

सुनील कुमार जैन पुत्र श्री धनराज जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, प्रभाग- टोंक

----प्रत्यर्थी

157. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14811/2021

सरस्वती बिल्डर्स (पार्टनरशिप फर्म)

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, प्रभाग - 6(2)

----प्रत्यर्थी

158. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14812/2021

भागीरथी उद्योग

----याचिकाकर्ता

बनाम

आईटीओ प्रभाग 1(3)

----प्रत्यर्थी

159. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14813/2021

जय प्रकाश गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

आईटीओ प्रभाग 1(3)

----प्रत्यर्थी

160. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14816/2021

दामोदर प्रसाद मित्तल पुत्र श्री देवकी नंदन मित्तल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, इटो डब्ल्यूडी टोंक

----प्रत्यर्थी

161. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14840/2021

भावना सिंह के पिता शिव सिंह पत्नी संजीव सोगरवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, आईटीडी प्रभाग 6(3)

----प्रत्यर्थी

162. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14843/2021

जयपुर बिल्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

163. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14852/2021

राधा कृष्ण कोगटा पुत्र प्रेम लाल कोगटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

164. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14854/2021

कपिल शर्मा पुत्र श्री सुरेंद्र शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

165. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14857/2021

राधा कृष्ण कोगटा पुत्र प्रेम लाल कोगटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

166. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14858/2021

राधा कृष्ण कोगटा पुत्र प्रेम लाल कोगटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

167. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14859/2021

शिव कुमार सोनी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

168. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14881/2021

अर्पित जैन पुत्र श्री अनिल जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयुक्त आयकर

----प्रत्यर्थी

169. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14887/2021

राजेश शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा,

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

170. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14889/2021

नेक्टर इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

171. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14892/2021

राकेश गुप्ता पुत्र श्री बाबू राम गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

172. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14893/2021

अर्पित जैन पुत्र श्री अनिल जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयुक्त आयकर

----प्रत्यर्थी

173. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14900/2021

अर्पित जैन पुत्र श्री अनिल जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयुक्त आयकर

----प्रत्यर्थी

174. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14919/2021

बैंक ऑफिस आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

175. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14928/2021

वैभव गहलोत पुत्र श्री अशोक गहलोत

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर के संयुक्त आयुक्त

----प्रत्यर्थी

176. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14929/2021

खुशी रियल एस्टेट

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

177. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14981/2021

जेसी प्राचीन वस्तुएँ और शिल्प

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

178. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15025/2021

बलराम चौधरी पुत्र श्री बोदु राम चौधरी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

179. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15055/2021

बलराम चौधरी पुत्र श्री बोदु राम चौधरी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

180. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15087/2021

बीना जैन पुत्री श्री पदम चंद जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

181. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15091/2021

राम बाबू बडाया

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, डब्ल्यूडी 6(2)

----प्रत्यर्थी

182. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15117/2021

महेश कुमार सुद्राणिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

183. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15132/2021

पूरन मल प्रहलाद राय

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

184. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15135/2021

राम फूल मीणा पुत्र काना राम मीणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

185. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15137/2021

नानू राम मीणा पुत्र राम नारायण मीणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

186. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15140/2021

मंजू कोगटा पुत्री पृथ्वीराज कोचलिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

187. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15142/2021

मनीष कुमार गोयल पुत्र श्री कमल बिहारी गोयल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

188. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15145/2021

आशीष गोयल पुत्र श्री कमल बिहारी गोयल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

189. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15146/2021

सुशीला यादव पत्नी रामअवतार यादव

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

190. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15147/2021

अलका भार्गव पत्नी नरेश कुमार भार्गव

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

191. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15164/2021

राकेश सिंघल पुत्र स्वर्गीय श्री अर्जुन लाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

192. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15166/2021

स्वर्गीय गणेश मल चिंदलिया पुत्र स्वर्गीय श्री गणपत राय चिंदलिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

193. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15168/2021

अलका भार्गव पत्नी नरेश कुमार भार्गव

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

194. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15183/2021

पूर्णमा लोढा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

195. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15185/2021

पूर्वी लोढा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

196. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15186/2021

विवेक लोढा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

197. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15187/2021

विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री डूंगरमल जी गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

198. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15189/2021

ऋषभ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

199. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15191/2021

रितु भालोटिया पुत्री बिनोद झुनझुनवाला

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी का कार्यालय

----प्रत्यर्थी

200. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15196/2021

राम करण मीणा पुत्र राम नारायण मीणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

201. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15197/2021

बर्दी चंद मीणा पुत्र राम नारायण मीणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

202. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15198/2021

नरेश कुमार भार्गव

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

203. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15201/2021

समकित हीरावत

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

204. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15203/2021

प्रदीप मित्तल पुत्र आनंद शंकर मित्तल

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

205. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15204/2021

स्वर्गीय गोपाल मीणा पुत्र श्री राम नारायण मीणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

206. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15205/2021

जगदीश मीणा पुत्र राम नारायण मीणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

207. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15206/2021

नरेश भार्गव हफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

208. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15207/2021

विनोद कुमार लोढा हफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

209. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15208/2021

लाला राम मीणा पुत्र काना राम मीणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

210. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15216/2021

नीतीश भार्गव

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

211. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15217/2021

विज्ञान लोढा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

212. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15218/2021

विजेता लोढा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

213. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15219/2021

पूर्वी लोढा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

214. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15229/2021

नरेश कुमार भार्गव

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

215. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15232/2021

नवल किशोर डांगायच हफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

216. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15281/2021

नवल किशोर डांगायच पुत्र श्री जुगल किशोर डांगायच

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

217. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15314/2021

ग्यारसी लाल पुत्र हर सहाय

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

218. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15316/2021

सूरज मल शर्मा पुत्र हर सहाय

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

219. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15350/2021

हेमंत शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी का कार्यालय

----प्रत्यर्थी

220. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15352/2021

आदित्य फाइनकेम प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

प्रधान आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

221. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15362/2021

आदित्य फाइनकेम प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

प्रधान आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

222. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15368/2021

जेम्को इंटरनेशनल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

223. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15370/2021

श्री रतनलाल शर्मा (मृतक)

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

224. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15373/2021

दिनेश शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री रतन लाल शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

225. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15374/2021

जेम्को इंटरनेशनल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

226. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15388/2021

निहाल चंद जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

227. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15393/2021

सुनीता शर्मा पुत्री रामावतार जोशी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्था

228. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15397/2021

नीलेश कायथवाल हफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्था

229. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 15431/2021

सीता देवी अग्रवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्था

230. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 5/2022

किशोर कुमार पुत्र कल्याण सिंह

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्था

231. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 54/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

संजय छाबड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री मोती लाल जैन

----प्रत्यर्थी

232. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 55/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

संदीप छाबड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री मोती लाल जैन

----प्रत्यर्थी

233. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 56/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

संदीप छाबड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री मोती लाल जैन

----प्रत्यर्थी

234. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 57/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

मोटिसंस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

235. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 58/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

पार्श्वनाथ फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

236. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 59/2022

आयकर अधिकारी का कार्यालय

----याचिकाकर्ता

बनाम

वीके बोर्डिया एंड संस हफ

----प्रत्यर्थी

237. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 60/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

मोटिसंस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

238. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 61/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

अनेक श्री बाबू सिंह की बेटी

----प्रत्यर्थी

239. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 62/2022

आयकर के सहायक आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

थार शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

240. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 63/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

मोटिसंस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

241. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 64/2022

सहायक आयकर आयुक्त,

----याचिकाकर्ता

बनाम

संजय छाबड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री मोती लाल जैन

----प्रत्यर्थी

242. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 65/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

एजेसियां राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड, बी -21, इंडस्ट्रियल एस्टेट

----प्रत्यर्थी

243. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 66/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

संजय छाबड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री मोती लाल जैन

----प्रत्यर्थी

244. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 68/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

लोटस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

245. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 70/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सुनीता गुप्ता पत्नी श्री अरविंद गुप्ता

----प्रत्यर्थी

246. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 71/2022

भारत संघ

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री गोपाल शर्मा

----प्रत्यर्थी

247. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 72/2022

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, आयकर

----याचिकाकर्ता

बनाम

संदीप शर्मा पुत्र श्री बुद्धि प्रकाश शर्मा

----प्रत्यर्थी

248. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 73/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

त्रिवेणी कृपा रियलकॉन लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

249. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 74/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

केपीआर कैपिटल मैनेजमेंट एलएलपी

----प्रत्यर्थी

250. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 75/2022

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय

----याचिकाकर्ता

बनाम

संदीप शर्मा पुत्र श्री बुद्धि प्रकाश शर्मा

----प्रत्यर्थी

251. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 76/2022

असम एडिबल ऑयल्स लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

252. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 76/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

यूनिक ड्रीम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

253. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 77/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

संदीप छाबड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री मोती लाल जैन

----प्रत्यर्थी

254. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 78/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

काजल छाबड़ा पत्नी श्री संजय छाबड़ा

----प्रत्यर्थी

255. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 79/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

पुष्पा अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

256. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 80/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

कैलाश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राम बल्लभ अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

257. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 81/2022

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय

----याचिकाकर्ता

बनाम

रिद्धि शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

258. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 82/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

लोटस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

259. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 83/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

मुकुंद मोदी पुत्र श्री निर्मल कुमार अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

260. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 84/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

हरिकृपा बिल्डएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

261. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 85/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

संदीप छाबड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री मोती लाल जैन

----प्रत्यर्थी

262. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 88/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

नमित अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

263. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 89/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स ओम बिल्डर्स

----प्रत्यर्थी

264. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 90/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स शुभ लक्ष्मी बुइडकॉन

----प्रत्यर्थी

265. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 91/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स यूनिक बिल्डर्स (रियल्टी)

----प्रत्यर्थी

266. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 92/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

रीना अग्रवाल पत्नी श्री मनीष अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

267. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 93/2022

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय

----याचिकाकर्ता

बनाम

रिद्धि शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

268. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 94/2022

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय

----याचिकाकर्ता

बनाम

रिद्धि शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

269. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 95/2022

आय के सहायक आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

थार शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

270. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 96/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

यूनिक्स ड्रीम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्था

271. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 97/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीराम एसोसिएट्स

----प्रत्यर्था

272. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 98/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

विशाल बोहरा पुत्र भीम राज बोहरा

----प्रत्यर्था

273. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 99/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स यूनिक्स बिल्डर्स (रियल्टी)

----प्रत्यर्था

274. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 100/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्री रचित जैन पुत्र श्री सुरेश जैन

----प्रत्यर्था

275. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 101/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

नितिन गिलारा पुत्र श्री गोरधन दास गिलारा

----प्रत्यर्थी

276. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 102/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

रितिका अग्रवाल पुत्री मणिशंकर अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

277. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 103/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

मोटिसंस शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

278. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 104/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

स्वर्गीय श्रीमती कमला अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

279. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 105/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

सीताराम अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री घीसा लाल अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

280. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 106/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

चिरंजीव लाल अग्रवाल हफ

----प्रत्यर्थी

281. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 107/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

अरविंद कुमार पुत्र रामनिवास जानू

----प्रत्यर्थी

282. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 108/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

राम निरंजन तिबरा पुत्र श्री विश्वनाथ तिबरा

----प्रत्यर्थी

283. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 109/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्री ओम प्रकाश मोरवाल पुत्र श्री राम कुमार मोरवाल

----प्रत्यर्थी

284. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 110/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्री ओम प्रकाश मोरवाल पुत्र श्री राम कुमार मोरवाल

----प्रत्यर्थी

285. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 111/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

केपीआर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

286. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 112/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

कैलाश चंद अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री घीसा लाल अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

287. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 113/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्री मधु कांत मोदी के पुत्र पराग मोदी

----प्रत्यर्थी

288. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 114/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

शिंभू दयाल अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री बिनोदी लाल अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

289. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 115/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

परमानंद रामचंद्र वर्मा पुत्र श्री रामचंद्र वर्मा

----प्रत्यर्थी

290. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 116/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सरोज गर्ग पत्नी श्री विष्णु मोहन गर्ग

----प्रत्यर्थी

291. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 117/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

स्वर्गीय श्री राम बाबू मोदी पुत्र श्री जगन नाथ मोदी

----प्रत्यर्थी

292. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 118/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

कैलाश चंद खंडेलवाल, पुत्र श्री गंगा सहाय खंडेलवाल

----प्रत्यर्थी

293. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 119/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्री गिर्राज इंडस्ट्रीज

----प्रत्यर्थी

294. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 120/2022

आयकर अधिकारी, प्रभाग 6(3)

----याचिकाकर्ता

बनाम

डिंपल जैन श्री बाल किशन अग्रवाल की बेटी

----प्रत्यर्थी

295. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 121/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

मुकेश कुमार लोचहिब पुत्र श्री रामदेव सिंह लोचहिब

----प्रत्यर्थी

296. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 122/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

मारू सिक्योरिटीज प्रा.

----प्रत्यर्थी

297. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 123/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्री दीपक जौहरी पुत्र स्वर्गीय श्री महेन्द्र कुमार जौहरी

----प्रत्यर्थी

298. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 124/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सुनीता शर्मा पुत्र हरि नारायण गोस्वामी

----प्रत्यर्थी

299. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 125/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

कल्पना शर्मा पुत्री बाबू लाल शर्मा

----प्रत्यर्थी

300. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 126/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

स्वर्गीय श्री चिरंजीव लाल अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

301. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 127/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

अर्चना माहेश्वरी पत्नी श्री केडी माहेश्वरी पुत्र सत्य नारायण नयति

----प्रत्यर्थी

302. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 128/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

जामिया अरबिया बरकतुला

----प्रत्यर्थी

303. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 129/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

प्रेम लता अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री राम बाबू मोदी

----प्रत्यर्थी

304. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 130/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

मारू सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

305. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 131/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

अमित जोशी पुत्र प्रेम नारायण जोशी

----प्रत्यर्थी

306. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 132/2022

आयकर अधिकारी, प्रभाग 4 (1)

----याचिकाकर्ता

बनाम

मनोरमा देवी गर्ग, श्री हीरा लाल अग्रवाल की पुत्री

----प्रत्यर्थी

307. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 133/2022

सहायक आयकर आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

गणेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल मोदी

----प्रत्यर्थी

308. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 134/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

कमलेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री जगन प्रसाद

----प्रत्यर्थी

309. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 135/2022

आयकर के संयुक्त आयुक्त

----याचिकाकर्ता

बनाम

गीता अग्रवाल पत्नी श्री नव रतन अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

310. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 136/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्री दीपक जौहरी पुत्र स्वर्गीय श्री महेन्द्र कुमार जौहरी

----प्रत्यर्थी

311. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 137/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

केपीआर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

312. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 138/2022

आयकर अधिकारी, प्रभाग 5(1)

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्री दीपक जौहरी पुत्र स्वर्गीय श्री महेन्द्र कुमार जौहरी

----प्रत्यर्थी

313. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 139/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

अमित दुबे पुत्र महेश कुमार दुबे

----प्रत्यर्थी

314. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 140/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

केपीआर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

315. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 141/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

मोहम्मद आसिफ पुत्र श्री हाजी मोहम्मद बशीर

----प्रत्यर्थी

316. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 142/2022

आयकर अधिकारी, प्रभाग 6(3)

----याचिकाकर्ता

बनाम

अलाक्रिटी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

317. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 143/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

दया सैनी पुत्र श्री नंद राम सैनी

----प्रत्यर्थी

318. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 144/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सुनीता सक्सेना श्री योगेश सक्सेना की पत्नी

----प्रत्यर्थी

319. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 145/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आशा देवी अग्रवाल पत्नी श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

320. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 146/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

321. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 147/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

प्रेम देवी अग्रवाल पत्नी श्री कैलाश चंद अग्रवाल

----प्रत्यर्थी

322. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 148/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

विष्णु मोहन गर्ग हफ

----प्रत्यर्थी

323. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 149/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

अमित दुबे पुत्र महेश कुमार दुबे

----प्रत्यर्थी

324. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 150/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

परमानंद रामचंद्र वर्मा पुत्र श्री रामचंद्र वर्मा

----प्रत्यर्थी

325. खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 151/2022

आयकर अधिकारी

----याचिकाकर्ता

बनाम

बीपीआईपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड

----प्रत्यर्थी

326. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 180/2022

नितिन ढांधिया पुत्र श्री विनय चंद ढांधिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

327. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 182/2022

नितिन ढांधिया पुत्र श्री विनय चंद ढांधिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

328. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 183/2022

नितिन ढांधिया पुत्र श्री विनय चंद ढांधिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्था

329. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 212/2022

भिक्षु साधना केंद्र समिति

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्था

330. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 230/2022

कमल किशोर कपूर पुत्र लेफ्टिनेंट कैलाश नाथ कपूर

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्था

331. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 239/2022

कमला देवी मीणा पत्नी श्री महावीर प्रसाद मीणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्था

332. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 275/2022

आशीष मंगल (हफ)

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर

----प्रत्यर्थी

333. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 306/2022

सुनीता सिंह पत्नी श्री वीरेंद्र सिंह

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

334. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 307/2022

भार्गव लोढा स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बी लोढा सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ
समामेलित हो गया है

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर आयुक्त सहायक

----प्रत्यर्थी

335. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 308/2022

हिशमत तनवानी पुत्र श्री हसानंद तनवानी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

336. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 309/2022

मुकेश कल्ला पुत्र श्री डॉ. श्रीधर कल्ला

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

337. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 310/2022

तिरुपति एगो इंडस्ट्रीज

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

338. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 325/2022

राजेश सहारण पुत्र बेग राज सहारण

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

339. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 327/2022

पंकज बिड़ला पुत्र रमेश बिड़ला

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

340. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 328/2022

फलोरी जैन पत्नी संदीप कुमार जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

341. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 338/2022

कलावती पुत्री स्वर्गीय श्याम सुंदर अग्रवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

342. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 369/2022

दिनेश कुमार भट्टर पुत्र स्वर्गीय श्री सत्य नारायण भट्टर

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

343. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 389/2022

डायनामिक केबल्स लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

344. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 390/2022

डायनामिक केबल्स लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

345. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 417/2022

श्री संजीव सिंह चौधरी की पत्नी सुमन चौधरी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

346. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 427/2022

रफीक पुत्र श्री मोहम्मद दाऊद

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर उपायुक्त

----प्रत्यर्थी

347. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 428/2022

भार्गव लोढ़ा स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बी लोढ़ा सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ
समामेलित हो गया है

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

348. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 432/2022

मेसर्स रिट्ज इफ्राकॉन इंडिया एलएलपी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

349. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 433/2022

वंदना विश्वकर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

350. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 441/2022

देवेन्द्र कुमार बंसल पुत्र श्री गोविंद राम बंसल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी प्रभाग 6(1)

----प्रत्यर्थी

351. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 442/2022

मेंटर होम्स लोन्स इंडिया लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

352. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 455/2022

मेसर्स सोनी इंडस्ट्रीज

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

353. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 456/2022

विशाल आर्य पुत्र राजेंद्र आर्य

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

354. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 458/2022

मंजू अरोड़ा, पुत्री श्री गिरधारी लाल खत्री

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

355. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 499/2022

कमल कुमार जैन पुत्र श्री उमराव चंद जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

356. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 503/2022

किशन दुलेट पुत्र श्री हरि नारायण मीणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

357. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 506/2022

ब्रांड इंडिया रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

358. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 509/2022

श्री राजेंद्र दत्त कौशिक की बेटी रोहिणी चड्ढा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

359. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 510/2022

वीसीबी ट्रेडिंग एलएलपी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

360. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 517/2022

वीसीबी ट्रेडिंग एलएलपी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

361. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 520/2022

स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद मोदी स्वर्गीय श्री गणेश मल मोदी के पुत्र

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

362. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 525/2022

भार्गव लोढ़ा स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बी लोढ़ा सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ
समामेलित हो गया है

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

363. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 539/2022

विपुल कुमार मोदी हफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

364. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 541/2022

यज्ञ मित्र सिंह देव पुत्र श्री जी. रामचंद्र

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

365. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 557/2022

प्रीति बखशी डॉ. संदीप बखशी की पत्नी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

366. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 560/2022

जयदीप मोदी हफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी प्रभाग 1(3)

----प्रत्यर्थी

367. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 570/2022

मंजूर अहमद पुत्र श्री सराजुद्दीन

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

368. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 571/2022

नरेश कुमार छतवानी पुत्र श्री भगवान दास छतवानी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

369. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 574/2022

राम बाबू अग्रवाल की बेटी सोनू अग्रवाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

370. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 582/2022

वीसीबी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड अब वीसीबी ट्रेडिंग एलएलपी में परिवर्तित हो गई है

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

371. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 583/2022

मोहम्मद रफीक मनियार पुत्र श्री मोहम्मद सलीम मनियार

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

372. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 607/2022

त्रिमूर्ति कॉलोनाइजर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

373. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 610/2022

वीसीबी ट्रेडिंग एलएलपी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी प्रभाग 1(3)

----प्रत्यर्थी

374. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 612/2022

अशोक वरंदनी पुत्र श्री अर्जुन दास वरंदनी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

375. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 614/2022

अनुराधा दुसद पुत्री श्री प्रेम सोनखिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

376. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 621/2022

मनीषा अशोक पुत्री श्री अमृत लाल आहूजा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

377. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 622/2022

राहुल शांडिल्य पुत्र श्री राम किशोर शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

378. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 623/2022

राधेश्याम उपाध्याय पुत्र श्री आशा राम उपाध्याय

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

379. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 624/2022

जय नेभनानी पुत्र श्री विनोद कुमार नेभनानी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

380. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 625/2022

महेंद्र कुमार वर्मा पुत्र श्री शिव प्रसाद वर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

381. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 628/2022

अब्दुल सत्तार पुत्र श्री गफूर मोहम्मद

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

382. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 649/2022

श्री दिनेश भट्टर की पत्नी सुमन भट्टर

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

383. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 654/2022

वीसीबी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

384. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 655/2022

शरद मिश्रा पुत्र श्री. उदय कांत मिश्रा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

385. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 657/2022

मेसर्स बालाजी चेंबर (एक साझेदारी फर्म)

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

386. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 658/2022

सारा लाइफस्टाइल एंड लीजर्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

387. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 664/2022

स्वर्गीय श्री रफीक अहमद कुरैशी पुत्र स्वर्गीय श्री अब्दुल शकूर

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

388. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 666/2022

सुनील चौधरी पुत्र श्री सुभ करण चौधरी

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

389. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 669/2022

शरद मिश्रा पुत्र श्री उदयकांत मिश्र

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

390. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 674/2022

संदीप कुमार वर्मा पुत्र श्री गोपलाल लाल वर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

391. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 675/2022

रवि जैन पुत्र श्री सी.के. जैन

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

392. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 683/2022

सारा लाइफस्टाइल एंड लीजर्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

393. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 684/2022

श्याम सुंदर झालानी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

394. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 691/2022

सुनील कुमार मोदी हफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

395. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 693/2022

राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री नारायण लाल गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

396. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 694/2022

नरेंद्र वरंदनी पुत्र श्री अर्जुन लाल वरंदनी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

397. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 695/2022

श्री प्रवीण बंठिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

398. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 699/2022

एंभियंस लैंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

399. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 701/2022

सच्चचिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

400. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 731/2022

सच्चचिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

401. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 743/2022

सरला अग्रवाल महावीर प्रसाद अग्रवाल की बेटी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

402. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 759/2022

हिमांशु बिल्डस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

403. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 767/2022

बृज किशोर मित्तल पुत्र श्री सज्जन लाल मित्तल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

404. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 770/2022

अनिल इंगायच पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

405. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 809/2022

संजय पाबूवाल ओम प्रकाश पाबूवाल के बेटे

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

406. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 816/2022

तेज प्रकाश कुमावत पुत्र श्री मंगल चंद कुमावत

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी का कार्यालय

----प्रत्यर्थी

407. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 819/2022

तेज प्रकाश कुमावत पुत्र श्री मंगल चंद कुमावत

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी का कार्यालय

----प्रत्यर्थी

408. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 836/2022

आनंद लाल लालपुरिया पुत्र श्री नागरमल लालपुरिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

409. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 855/2022

मोहम्मद ताहिर पुत्र अख्तर खान

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

410. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 896/2022

ईश्वर फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

411. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 908/2022

सुनील कुमार रोहित मोदानी हफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

412. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 920/2022

रश्मि मोदानी, पत्नी श्री सुनील मोदानी

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

413. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 921/2022

संजय कुमार सोहित मोदानी हफ

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

414. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 922/2022

सुवा लाल जाखड़ पुत्र श्री प्रभातराम

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

415. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 925/2022

श्रीमती राज बंठिया

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

416. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 930/2022

कजरी अरोड़ा पुत्री हेम चंद अरोड़ा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

417. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 954/2022

ईशा पुरोहित डॉ/ओ अमरेश कुमार शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

418. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 955/2022

हरि धोबी पुत्र श्री मिश्रा धोबी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

419. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 957/2022

श्री देवीलाल पुत्र स्वर्गीय श्री रिद्धि नारायण

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

420. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 974/2022

कपिल तनेजा पुत्र श्री सी पी तनेजा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

421. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 976/2022

कपिल तनेजा, श्री सी पी तनेजा के पुत्र

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

422. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 978/2022

गोल्डेंड्यून्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

423. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1000/2022

अक्षित शर्मा पुत्र श्री दिनेश शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

424. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1002/2022

श्री रघुवीर सरन गुप्ता की पुत्री कांता नागपाल

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

425. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1003/2022

गोल्डैड्यून्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

426. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1004/2022

खेम चंद ठठेरा पुत्र श्री नानाग राम ठठेरा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

427. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1006/2022

फूल चंद चौधरी पुत्र जगदीश प्रसाद चौधरी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

428. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1007/2022

अक्षित शर्मा पुत्र श्री दिनेश शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

429. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1008/2022

जगमाल सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सुल्हाद

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

430. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1009/2022

एमबीएम बियरिंग्स (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

431. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1011/2022

श्री श्यामकृपा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

432. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1020/2022

गोल्डेंड्यून्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

433. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1021/2022

बिंदु सिंघल पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

434. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1023/2022

कपिल तनेजा पुत्र श्री सी पी तनेजा

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

435. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1028/2022

श्री श्यामकृपा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

436. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1034/2022

पशुपति बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

437. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1048/2022

निपिन गोयल पुत्र लक्ष्मी नारायण गोयल

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

438. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1054/2022

निपिन गोयल पुत्र लक्ष्मी नारायण गोयल

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

439. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1055/2022

निपिन गोयल पुत्र लक्ष्मी नारायण गोयल

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

440. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1056/2022

श्रीमती मालिनी सिंह पुत्री श्री अबनाश चंदर चोपड़ा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

441. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1058/2022

रतिका पत्नी महेश कुमार गुप्ता

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

442. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1069/2022

कुलदीप भट्ट पुत्र दामोदर शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

443. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1121/2022

दिनेश कुमार शर्मा पुत्र रोशन लाल शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

444. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1166/2022

इमामुद्दीन खान, पुत्र रोशन खान

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

445. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1201/2022

श्री चुन्नी लाल वाधवा की बेटी दीपिका वाधवा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

446. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1202/2022

पशुपति बिल्डएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

447. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1217/2022

पशुपति बिल्डएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

448. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1225/2022

हर्ष भाला पुत्र रमाकांत भाला

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

449. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1241/2022

अक्षित शर्मा पुत्र श्री दिनेश शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

450. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1246/2022

अक्षित शर्मा पुत्र श्री दिनेश शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

451. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1247/2022

हर्ष भाला पुत्र रमाकांत भाला

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

452. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 1291/2022

रुक्मणी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

453. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11818/2021

कांडा एडिबल ऑयल प्रा. लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

से संबद्ध

454. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9443/2021

नीलेश बांगर

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी,

----प्रत्यर्थी

455. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9536/2021

कृष्ण गोपाल बांगर

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

456. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9538/2021

दुर्गेश बांगर

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी,

----प्रत्यर्थी

457. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9549/2021

सोहन लाल बांगर

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

458. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9656/2021

लाडू राम बांगर

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

---प्रत्यर्थी

459. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9660/2021

जयेश बांगर

---याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

---प्रत्यर्थी

460. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 9948/2021

मेसर्स भावल सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड

---याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

---प्रत्यर्थी

461. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 11955/2021

मेसर्स एस एम इंडस्ट्रीज

---याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

---प्रत्यर्थी

462. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 12984/2021

मीमांशक शर्मा

---याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त (एसीआईटी)

---प्रत्यर्थी

463. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 13471/2021

गणपती मल्टी कमोडिटी बिजनेस इंडिया प्रा. लिमिटेड

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर उपायुक्त

----प्रत्यर्थी

464. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14142/2021

तारा चंद नचनी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

465. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 14143/2021

नितिन नचनी

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त

----प्रत्यर्थी

466. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 17116/2021

प्रियंका माहेश्वरी

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, प्रभाग-1 (1) भीलवाड़ा

----प्रत्यर्थी

467. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या.17519/2021

जितेंद्र सोनी

---याचिकाकर्ता

बनाम

107

[CW-969/2022]

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

468. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 17520/2021

रोहित कुमार सोनी

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

----प्रत्यर्थी

469. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 10601/2021

वागाजी निनामा

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, प्रभाग बांसवाड़ा

----प्रत्यर्थी

के साथ संबंध

470. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 18034/2021

कामिनी जिंदल

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी

----प्रत्यर्थी

471. खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या. 673/2022

बनाम

आयकर अधिकारी, प्रभाग- I, चुरू

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से
:

श्री जावेद खान, श्री प्रतीक केदावत, श्री सर्वेश जैन, श्री पी.के. कासलीवाल, श्री प्रियेश कासलीवाल, श्री आदित्य बोहरा, श्री वैभव कासलीवाल और श्री शशांक कासलीवाल, श्री सुरेश साहनी के साथ श्री अनंत काशलीवाल, श्री गुंजन पाठक, सुश्री इशिता रावत, श्री एम. इकबाल, श्री वेदांत अग्रवाल के साथ श्री सिद्धार्थ रांका, श्री हरीश अग्रवाल, श्री प्रकुल खुराना के साथ श्री संजय झंवर, श्री नरेश गुप्ता, सुश्री अभिलाषा शर्मा, श्री प्रतीक अग्रवाल, श्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री संजीव जौहरी, श्री राजीव सोगरवाल, श्री सुशील डागा
श्री अनुराग कलावतिया, श्री महेंद्र गार्गीया, श्री प्रतीक कासलीवाल, श्री राकेश कुमार, श्री विशाल तिवारी, श्री संजय झंवर, श्री नेहपाल योगी, श्री जयदीप मलिक, श्री रघु नंदन शर्मा
श्री प्रभांश शर्मा, श्री अजातशत्रु मीना की ओर से श्री दर्शन, श्री वर्मा, श्री सुवीर गौड़, श्री हर्षवर्द्धन सिंह चुण्डावत, श्री पंकज घीया, श्री मोहित खंडेलवाल, श्री प्रखर गुप्ता, श्री अनिरुद्ध माथुर, श्री कृष्णवीर सिंह, श्री रोहित सोलंकी, श्री एस.एल. पोद्दौर, श्री संजीव जौहरी, श्री एम.एस. भाटी, श्री ललित परिहार, श्री शुभंकर जौहरी, श्री अभिषेक मेहता
श्री अंजय कोठारी (सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

प्रत्यर्थागण (गण) की और से : श्री आर.बी.माथुर जी के साथ, श्री निखिल सिमलोटे, (रिट याचिकाओं में प्रत्यर्थागण के लिए और विशेष अपील में अपीलकर्ताओं के लिए), श्री संदीप पाठक, श्री अनुरूप सिंघी, सुश्री परिणितु जैन, श्री कमल किशोर बिस्सा (सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अकील कुरैशी

माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन

(वीसी के माध्यम से)

निर्णय सुरक्षित करने की तारीख : **18/01/2022, 19/01/2022, 20/01/2022, 21/01/2022 और 24/01/2022**

निर्णय उच्चारित करने की तारीख : **27/01/2022**

रिपोर्टबल: न्यायालय द्वारा

अकील कुरैशी, मुख्य न्यायाधीश:

1. मामलों के इस समूह में विद्वान एकलपीठ के निर्णय के खिलाफ रिट याचिकाएं और विशेष खंडपीठ अपील शामिल हैं। इन सभी कार्यवाहियों में उत्पन्न होने वाले केंद्रीय मुद्दे भौतिक तथ्यों में थोड़ा अलग होने के साथ आम हैं। उन्हें अलग-अलग तारीखों पर सुना गया था, लेकिन विचार किए जाने वाले मुद्दों की समानता के कारण, उन्हें आम निर्णय के माध्यम से निपटान के लिए एक साथ जोड़ा गया था।

2. रिट याचिकाओं में याचिकाकर्तागण ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 148 के तहत मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा जारी संबंधित नोटिस को चुनौती दी है। ये सभी नोटिस 01.04.2021 के बाद जारी किए गए हैं और संबंधित अवधि से संबंधित हैं जो उक्त तिथि से पहले है। याचिकाकर्तागण का तर्क है कि चूंकि नोटिस 01.04.2021 के बाद जारी किए गए हैं, इसलिए ऐसा केवल 01.04.2021 से प्रभावी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। चूंकि वर्तमान मामलों में नोटिस पुराने प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं जिन्हें पहले ही प्रतिस्थापित किया जा चुका है, इसलिए नोटिस अमान्य हैं।

याचिकाकर्तागण ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (संक्षेप में 'सीबीडीटी') द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं के कुछ हिस्सों को भी चुनौती दी है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 148, 149 और 151 के प्रावधान 31.03.2021 को लागू होंगे। पिछली अवधि के लिए धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना। याचिकाकर्तागण के मुताबिक यह स्पष्टीकरण सीबीडीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

3. विशेष अपील में, राजस्व ने बीपीआईपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या.13297/2021), 2021 (12) टीएमआई 207 में प्रकाशित मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया जिसमें विद्वान एकलपीठ दिनांक 25.11.2021 के निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें अशोक कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ, राजस्व सचिव नॉर्थ ब्लॉक और अन्य के माध्यम से (रिट कर याचिका संख्या 524/2021), दिनांक 30.09.2021, 2021(10) टीएमआई 517 में प्रकाशित, विद्वान एकलपीठ ने अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस को रद्द कर दिया था।

4. चूंकि रिकॉर्ड से उभरने वाले भौतिक तथ्य निर्विवाद हैं और चूंकि इस मुकदमे का नतीजा कानून के शुद्ध प्रश्नों पर निर्भर करता है, इसलिए हमने तथ्यात्मक पहलुओं पर विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना इन याचिकाओं और अपीलों पर अंततः सुनवाई शुरू कर दी है। इस फार्मूले पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता भी सहमत थे।

5. सिविल रिट याचिका संख्या 969/2022 को मुख्य मामले के रूप में लिया गया है। याचिका से तथ्यों को संक्षेप में नोट किया जा सकता है। याचिकाकर्ता एक व्यक्ति है, जिसने आकलन वर्ष 2013-14 में कुल आय घोषित करते हुए 01.10.2013 को 4,79,420/- रु.की आयकर दायर की। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा रिटर्न को बिना जांच के स्वीकार कर लिया गया। निर्धारण वर्ष 2013-14 के मूल्यांकन के पुनर्मूल्यांकन के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 आयकर अधिकारी जयपुर ने अधिनियम की धारा 148 के तहत 08.04.2021 को एक नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि यह नोटिस जो

01.04.2021 से पहले मौजूद मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, कानून की नजर में गलत है क्योंकि 01.04.2021 से अधिनियम में नए प्रावधान प्रतिस्थापित किए गए हैं जो पुराने प्रावधानों के स्थान पर हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, चूंकि निर्विवाद रूप से 01.04.2021 से कानून में प्रस्तुत किए गए पुनर्मूल्यांकन प्रावधानों का वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया है, इसलिए नोटिस कानून की दृष्टि से खराब है। याचिकाकर्ता के अनुसार, नोटिस जारी करने की सीमा अधिनियम की संशोधित धारा 149 के अनुसार होगी। धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले धारा 148क में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में संशोधित धारा 149 के अनुसार नोटिस कालातीत था और धारा 148क के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इस तर्क के विस्तार के रूप में, याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस दोष को प्रत्यायोजित कानून की शक्ति के तहत सीबीडीटी द्वारा जारी स्पष्टीकरण के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। एक बार जब हम पुनर्मूल्यांकन के लिए मौजूदा और प्रतिस्थापित प्रावधानों पर ध्यान देंगे तो हम मामले के इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

01.04.2021 से पहले पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान:

6. जैसा कि सर्वविदित है, अधिनियम का अध्याय XIV मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित है। इस अध्याय में पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान भी शामिल हैं जो विभाग को कुछ परिस्थितियों में पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। धारा 147 के अनुसार, जैसा कि यह वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापन से पहले था, यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण था कि कर के दायरे में आने वाली कोई भी आय किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन से बच गई थी, वह अधिनियम की धारा 148 से 153 के प्रावधानों के अधीन ऐसी आय का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता था और साथ ही कर के दायरे में आने वाली कोई भी अन्य आय जो मूल्यांकन से बच गई थी, अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, धारा 147 के तहत ऐसा कोई भी मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना करने से पहले मूल्यांकन अधिकारी को करदाता को एक नोटिस देना

होता है, जिसमें उसे अपनी आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। धारा 148 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी ऐसा कोई भी नोटिस जारी करने से पहले ऐसा करने के लिए अपने कारण दर्ज करेगा। धारा 147 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1) के अनुसार, संवीक्षा मूल्यांकन के मामले में धारा 148 के तहत कोई नोटिस प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से चार वर्ष की अवधि के बाद जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि निर्धारिती दायर करने में विफल न हो। कर वसूल की जाने वाली रिटर्न या आय मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों का सही और पूरी तरह से खुलासा करने में निर्धारिती की विफलता के कारण मूल्यांकन से बच गई थी और इस मामले में भी प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के छह वर्ष की अवधि से परे कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सका था। यह अवधि उन मामलों में 16 वर्ष तक बढ़ जाएगी जहां मूल्यांकन से बच गई किसी संपत्ति के संबंध में आय भारत के बाहर की है। अधिनियम की धारा 151 नोटिस जारी करने की मंजूरी से संबंधित है। धारा 151 की उप-धारा (1) के अनुसार, प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद मूल्यांकन अधिकारी द्वारा धारा 148 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कारणों से संतुष्ट है कि इस तरह का नोटिस जारी करने का उपयुक्त मामला था। उपधारा (2) के अनुसार अधिनियम की धारा 151 की, उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाले मामले के अलावा किसी अन्य मामले में, संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि संयुक्त आयुक्त दर्ज किए गए कारणों से संतुष्ट न हो। निर्धारण अधिकारी द्वारा कि यह नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है। अधिनियम की धारा 153 में मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन को पूरा करने के लिए समय सीमा के प्रावधान शामिल थे। संक्षेप में यह पुनर्मूल्यांकन की योजना थी जो वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधनों से पहले मौजूद थी।।

01.04.2021 से अधिनियम में निहित पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान:

7. पुनर्मूल्यांकन की इस पूरी योजना में वित्त अधिनियम, 2021 के तहत बड़े बदलाव हुए हैं, जो संशोधन 01.04.2021 से लागू किए गए हैं। धारा 147 का सरलीकरण किया गया है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार, यदि किसी निर्धारिती के मामले में कर-योग्य कोई आय किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन से बच गई है, तो मूल्यांकन अधिकारी धारा 148 से 153 के प्रावधानों के अधीन ऐसी आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है या फिर से गणना कर सकता है। ऐसे मूल्यांकन वर्ष के लिए हानि या मूल्यहास भत्ता या कोई अन्य भत्ता या कोई अन्य भत्ता या कटौती, उन मामलों के बीच अंतर जहां कर से वसूल की जाने वाली आय निर्धारिती द्वारा सही मायने में या पूरी तरह से सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करने में विफलता के कारण मूल्यांकन से बच गई है और बाकी को खत्म कर दिया गया है।

8. अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, धारा 147 के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना करने से पहले और धारा 148क के प्रावधानों के अधीन, मूल्यांकन अधिकारी को यदि आवश्यक हो तो पारित आदेश की एक प्रति के साथ निर्धारिती को एक नोटिस देना होगा। धारा 148क के खंड (घ) में उसे निर्दिष्ट समय के भीतर और निर्धारित प्रपत्र में रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। धारा 148 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि कोई भी नोटिस तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि मूल्यांकन अधिकारी के पास ऐसी जानकारी न हो जो यह बताती हो कि कर लगाने योग्य आय संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में मूल्यांकन से बच गई है और मूल्यांकन अधिकारी ने पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। ऐसे नोटिस जारी करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिनियम की धारा 148 का स्पष्टीकरण (1) बताता है कि "आकलन अधिकारी के पास मौजूद जानकारी जो बताती है कि कर-योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है" का क्या मतलब है। स्पष्टीकरण (2) उन स्थितियों को सूचीबद्ध करता है जहां मूल्यांकन अधिकारी के पास ऐसी जानकारी होगी जो यह बताती है कि कर-योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है।

9. धारा 148क नई जोड़ी गई है और यह जांच करने, धारा 148 के तहत

नोटिस जारी करने से पहले अवसर प्रदान करने से संबंधित है और निम्नानुसार पठित है:-

“148क. कर निर्धारण अधिकारी, धारा 148 के तहत किसी भी नोटिस जारी करने से पहले,

क. किसी भी जांच का संचालन करना, यदि आवश्यक हो, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, उस जानकारी के संबंध में जो बताती है कि कर के लिए प्रभार्य आय मूल्यांकन से बच गई है;

ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करें, उसे ऐसे समय के भीतर कारण बताने के लिए नोटिस देकर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है, कम से कम सात दिन का हो और लेकिन उस तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं, जिस दिन ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, या ऐसा समय, जो उसके द्वारा इस संबंध में एक आवेदन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है, धारा 148 के तहत नोटिस क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए ऐसी जानकारी जो सुझाव देती है कि उसके मामले में प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए कर-योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है और खंड(क) के अनुसार की गई जांच के परिणाम, यदि कोई हों;

ग. खंड (ख) में निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस के उत्तर में, यदि कोई हो, प्रस्तुत निर्धारिती के उत्तर पर विचार करें;

घ. निर्धारिती के उत्तर सहित रिकॉर्ड पर

उपलब्ध सामग्री के आधार पर तय करें कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ, एक आदेश पारित करके धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना उपयुक्त मामला है या नहीं। उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर जिसमें खंड(ग) में निर्दिष्ट उत्तर उसे प्राप्त होता है, या जहां ऐसा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर जिसमें समय या विस्तारित समय प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है खंड (ख) के अनुसार उत्तर समाप्त हो रहा है

बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां,-

क. अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद निर्धारिती के मामले में धारा 132 ए के तहत धारा 132 या खाते की पुस्तकों के तहत खोज शुरू की जाती है; अथवा

ख. निर्धारण अधिकारी प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से संतुष्ट है कि धारा 132 के तहत तलाशी में जब्त किया गया या धारा 132 ए के तहत मांगे गए किसी भी धन, सर्साफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान लेख या चीज के मामले में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद कोई अन्य व्यक्ति निर्धारिती का है; या

ग. निर्धारण अधिकारी प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से संतुष्ट है कि धारा 132 के तहत तलाशी में जब्त की गई या धारा 132क के तहत मांगे गए किसी भी खाते की

किताबें या दस्तावेज, पहले दिन या उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति के मामले में अप्रैल, 2021, निर्धारिती से संबंधित है या उससे संबंधित है, या उसमें मौजूद कोई भी जानकारी है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।

10. इस नए शुरू किए गए प्रावधान के अनुसार, धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले, यदि आवश्यक हो तो मूल्यांकन अधिकारी कोई भी पूछताछ कर सकता है; उस जानकारी के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ, जो बताती है कि कर के लिए प्रभार्य आय मूल्यांकन से बच गई है। उसे निर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने के लिए नोटिस देकर निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करना होगा, जो नोटिस जारी होने की तारीख से न्यूनतम सात दिन, बल्कि 30 दिन से अधिक नहीं होगा, लेकिन जिसे निर्धारिती के एक आवेदन पर बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नोटिस निर्धारिती से यह पूछने के लिए होगा कि धारा 148 के तहत सूचना के आधार पर नोटिस क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए जो बताता है कि कर-योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है। खंड(ग) के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी को ऐसे नोटिस के उत्तर में निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करना होगा। खंड (घ) के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती के उत्तर सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय लेगा कि क्या मामला अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त है या नहीं, जिसके लिए वह नोटिस जारी करेगा। उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ एक आदेश जिसमें निर्धारिती से उत्तर उसे प्राप्त होता है और जहां ऐसा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर। या उत्तर प्रस्तुत करने के लिए बढ़ाया गया समय समाप्त हो रहा है। धारा 148क के प्रावधान में उन मामलों की सूची है जहां यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी। धारा 148क की व्याख्या के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी का अर्थ धारा 151 में निर्दिष्ट

प्राधिकारी है।

11. धारा 149 में अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा में भी बड़े बदलाव किए गए। यह प्रावधान निम्नानुसार है: -

“149 (1) धारा 148 के तहत कोई नोटिस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए जारी नहीं किया जाएगा,

क. यदि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष बीत चुके हैं, जब तक कि मामला खंड (ख) के तहत नहीं आता है;

ख. यदि प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन वर्ष, लेकिन दस वर्ष से अधिक नहीं बीत चुके हैं, जब तक कि मूल्यांकन अधिकारी के पास अपने खाते की किताबें या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य नहीं हैं जो बताते हैं कि कर-योग्य आय का प्रतिनिधित्व किया जाता है संपत्ति के रूप में, जो मूल्यांकन से बच गई है, उस वर्ष के लिए राशि पचास लाख रुपये या उससे अधिक होने की संभावना है:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले शुरू होने वाले प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के मामले में किसी भी समय धारा 148 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा नोटिस समय से परे होने के कारण उस समय जारी नहीं किया जा सकता था। इस धारा की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट सीमा, क्योंकि वे वित्त अधिनियम, 2021 के शुरू होने से ठीक पहले थीं:

बशर्ते कि इस उप-धारा के प्रावधान ऐसे मामले में

लागू नहीं होंगे, जहां धारा 132 या खाते की पुस्तकों के तहत शुरू की गई खोज के संबंध में धारा 153क, या धारा 153क के साथ पठित धारा 153ग के तहत एक नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले धारा 132क के तहत मांगे गए अन्य दस्तावेज या कोई संपत्ति:

बशर्ते कि इस धारा के अनुसार सीमा की अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए, धारा 148क के खंड (ख) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार निर्धारिती को दिया गया समय या विस्तारित समय या वह अवधि जिसके दौरान कार्यवाही की जाए। धारा 148क किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा रोक दी गई है, उसे बाहर रखा जाएगा:

बशर्ते कि जहां तत्काल पूर्ववर्ती प्रावधान में निर्दिष्ट अवधि के बहिष्कार के तुरंत बाद, धारा 148क के खंड(घ) के तहत आदेश पारित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के पास उपलब्ध सीमा की अवधि सात दिनों से कम है, ऐसी शेष अवधि होगी सात दिनों तक बढ़ाया जा सकता है और इस उप-धारा के तहत परिसीमा की अवधि को तदनुसार बढ़ाया हुआ माना जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-धारा के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "संपत्ति" में अचल संपत्ति, भूमि या भवन या दोनों, शेयर और प्रतिभूतियां, ऋण और अग्रिम, बैंक खाते में जमा शामिल होंगे।

(2) सूचना जारी करने के बारे में उपधारा (1) के

उपबंध धारा 151 के उपबंधों के अधीन होंगे।

12. धारा 149 की उपधारा (1) के अनुसार, धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन वर्ष है जब तक कि मामला खंड (ख) के अंतर्गत नहीं आता है, जहां अवधि उपलब्ध है ऐसा नोटिस जारी करने की अवधि दस वर्ष है। खंड (ख) उन मामलों पर लागू होता है जहां मूल्यांकन अधिकारी के पास खातों की किताबें या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य होते हैं जो बताते हैं कि संपत्ति के रूप में प्रस्तुत कर-योग्य आय, जो मूल्यांकन से बच गई है, कुल राशि के बराबर है या होने की संभावना है 50 लाख या उससे अधिक. धारा 149 के स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि खंड (ख) के प्रयोजन के लिए संपत्ति में अचल संपत्ति, भूमि या भवन या दोनों, शेयर और प्रतिभूतियां, ऋण और अग्रिम, बैंक खाते में जमा शामिल होंगे।

13. धारा 149 की उपधारा (1) में चार प्रावधान शामिल हैं जो बाद में इन प्रावधानों की व्याख्या के संदर्भ में और इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा के लिए आएंगे कि प्रतिस्थापन के बाद प्रतिस्थापित प्रावधान लागू रहेंगे या नहीं।

14. नोटिस जारी करने की मंजूरी से संबंधित धारा 151 में भी संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार धारा 148 और 148क के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (i) प्रधान आयुक्त या प्रधान निदेशक या आयुक्त या निदेशक होंगे, यदि प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन वर्ष या तीन वर्ष से कम समय बीत चुका है और (ii) प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या जहां कोई प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक नहीं है, यदि प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

15. मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना को पूरा करने की समय सीमा वाली धारा 153 में भी संशोधन किया गया है। पुराने और नए प्रावधानों की तुलना करना आवश्यक नहीं है, सिवाय संक्षेप में दर्ज करने के कि समय सीमा क्या है, छोटा किया गया।

पुनर्मूल्यांकन के लिए पुराने और नए प्रावधानों के बीच तुलना

16. अधिनियम में निहित मौजूदा और प्रतिस्थापित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाहियों

की तुलना से पता चलेगा कि पहले सामान्य मामलों में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए चार वर्ष की समय सीमा और उन मामलों में छह वर्ष की समय सीमा थी जहां कर के लिए देय आय मूल्यांकन से बच गई थी। निर्धारिती की ओर से सभी भौतिक तथ्यों का सही और पूरी तरह से खुलासा करने में विफलता को दूर कर दिया गया है और समय सीमा को संशोधित किया गया है। प्रदान की गई नई समय सीमा तीन वर्ष है, जब तक कि कर के दायरे में आने वाली आय, जो मूल्यांकन से बच गई है, 50 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि की है या होने की संभावना है और इस मामले में लागू धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा अंत से दस वर्ष होगी। प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष का. धारा 147 में पहले "आकलन अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है" शब्द का उल्लेख किया गया था कि कर-योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है। धारा 148 के प्रावधानों के तहत, जैसा कि अभी है, पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई नोटिस तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि मूल्यांकन अधिकारी के पास ऐसी जानकारी न हो जो यह बताती हो कि कर के दायरे में आने वाली आय मूल्यांकन से बच गई है। मूल्यांकन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर-योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है, इसलिए, मूल्यांकन अधिकारी के पास ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो बताती है कि कर-योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है, जो भविष्य में उचित मामलों में विचार और व्याख्या के लिए आएगी। चूंकि इस बदलाव से हमारा सीधा सरोकार नहीं है इसलिए हमारे लिए इस मुद्दे पर गहराई से विचार करना ज़रूरी नहीं है।

17. पुनर्मूल्यांकन की नई व्यवस्था में जो प्रमुख परिवर्तन आया है, वह पहली बार अधिनियम की धारा 148क में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि **जीकेएन ड्राइवशाफ्ट (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, (2003) 259 आईटीआर 19 (एससी)** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारिती द्वारा मांग किए जाने पर कर पुन निर्धारण करने के लिए नोटिस जारी करने और पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस पर विचार करने और उसका निपटान करने के लिए रिकार्ड किए गए कारणों का उल्लेख करते हुए निर्धारण अधिकारी की आवश्यकता को प्रस्तुत किया था। धारा 148क इस प्रक्रिया को संशोधित रूप में संहिताबद्ध

करती है। अधिनियम की धारा 148क का खंड(क) निर्धारण अधिकारी को जांच करने की अनुमति देता है यदि आवश्यक हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ उस जानकारी के संबंध में जो बताती है कि कर प्रभार्य आय मूल्यांकन से बच गई है। धारा 148क के खंड (ख) में निर्धारण अधिकारी को नोटिस जारी करके निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है कि धारा 148 के तहत नोटिस उस सूचना के आधार पर जारी क्यों नहीं किया जाना चाहिए जो बताती है कि कर के लिए प्रभार्य आय मूल्यांकन से बच गई है। खंड(ग) के अनुसार निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती के उत्तर पर विचार करने की आवश्यकता है यदि प्रस्तुत किया गया है और खंड (घ) के अनुसार वह रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय लेगा और यदि उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या यह धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है।

18. धारा 148क **जीकेएन ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (सुप्रा.)**¹ में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था से कहीं आगे है। उक्त तंत्र के तहत निर्धारिती को धारा 148 के तहत नोटिस प्राप्त होने के बाद मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कारणों तक पहुंच प्राप्त होगी। उसका अधिकार आपत्तियां उठाने तक सीमित था जिसका निपटान मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। धारा 148क की नई योजना के तहत, मूल्यांकन अधिकारी को पहले करदाता को एक अवसर प्रदान करना होगा कि धारा के तहत नोटिस क्यों दिया जाए। धारा 148 के अंतर्गत नोटिस उस सूचना के आधार पर जारी नहीं किया जाना चाहिए जो बताती है कि कर-योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है। हालांकि धारा 148क का खंड (ख) ऐसा निर्दिष्ट नहीं करता है, क्योंकि नोटिस में निर्धारिती से पूछा गया है कि उस जानकारी के आधार पर मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए जो बताता है कि कर के लिए देय आय मूल्यांकन से बच गई है, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है निर्धारिती उक्त प्रावधान में अंतर्निहित है। इस प्रकार निर्धारिती के पास धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने का भी विरोध करने का अवसर है और वह वैध रूप से उम्मीद कर सकता है कि मूल्यांकन अधिकारी उसे वह जानकारी प्रदान करेगा जो उसके अनुसार सुझाव देती है कि कर के लिए प्रभार्य आय मूल्यांकन से बच गई है। मूल्यांकन अधिकारी का

यह निर्णय लेने का कर्तव्य है कि क्या यह अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है। ऐसा निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और निर्धारिती के उत्तर, यदि कोई दायर किया गया हो, के आधार पर लिया जाना चाहिए। तय समय के अंदर निर्णय लेना होगा।

19. जबकि वित्त अधिनियम, 2021 अभी तक अस्तित्व में नहीं था, मार्च, 2020 के तीसरे सप्ताह के आसपास देश कोरोना वायरस के प्रसार की चपेट में आ गया था, जिसके कारण देशव्यापी सख्त लॉकडाउन हुआ जिसने नागरिकों और यहां तक कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई। व्यक्तियों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों के लिए कई वैधानिक समय सीमाओं का पालन करना लगभग असंभव हो गया, जो कई मामलों में अनम्य थे। कर संग्रह के संदर्भ में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकार ने सबसे पहले कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट), अध्यादेश, 2020 (इसके बाद 'छूट अध्यादेश, 2020' के रूप में संदर्भित) प्रस्तुत किया। उक्त अध्यादेश में निहित प्रावधान उन विनिर्दिष्ट अधिनियमों पर लागू होंगे जिन्हें धारा 2(1) के खंड(क) में परिभाषित किया गया था जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 शामिल है। छूट अध्यादेश, 2020 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसार, निर्दिष्ट अधिनियमों में प्रदान की गई कोई भी समय सीमा जो 20.03.2020 से 29.06.2020 या 29.06.2020 के बाद की ऐसी अन्य तारीख के दौरान आती है, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा कार्रवाई को पूरा करने या अनुपालन के लिए निर्दिष्ट कर सकती है और जहां इस तरह की पूर्णता और अनुपालन समय के भीतर नहीं किया गया था, तो इस तरह के उद्देश्य के लिए समय सीमा, इसमें निहित किसी भी चीज के बावजूद निर्दिष्ट अधिनियम 30.06.2020 या 30.06.2020 के बाद ऐसी अन्य तिथि तक विस्तारित होगा, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। छूट अध्यादेश, 2020 को कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 (इसके बाद 'छूट अधिनियम, 2020' के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 29.09.2020 से लागू किया गया था। छूट अधिनियम, 2020 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसार, निर्दिष्ट अधिनियमों में निर्दिष्ट समय सीमाएं जो

20.03.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान या 31.12.2020 के बाद ऐसी अन्य तिथि, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है, को 31.03.2021 या 31.03.2021 के बाद ऐसी अन्य तारीख तक बढ़ा दिया गया था, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। इस तरह का विस्तार निर्दिष्ट अधिनियम में निहित किसी भी चीज के बावजूद संचालित होगा।

20. केंद्र सरकार ने विस्तार अध्यादेश के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी कर समय सीमा बढ़ा दी थी। चूँकि इन विस्तार के बारे में कोई विवाद नहीं है, इसलिए इस निर्णय में उनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

21. छूट अधिनियम, 2020 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने दिनांक 31.03.2021 को एक अधिसूचना जारी की और अन्य बातों के अलावा, अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। इस अधिसूचना में एक स्पष्टीकरण था जो चुनौती के अधीन है। अधिसूचना इस प्रकार है:-

“एस.ओ. 1432(ड०)– कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद इसे कहा जाएगा) उक्त अधिनियम), और वित्त मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, (राजस्व विभाग) संख्या 93/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II में प्रकाशित, धारा 3, उपधारा (ii), क्रमांक एस.ओ. 4805(ई), दिनांक 31 दिसंबर, 2020, केंद्र सरकार इसके द्वारा निर्दिष्ट करती है कि,-

(क) जहां निर्दिष्ट अधिनियम आयकर

अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (बाद में आयकर अधिनियम के रूप में संदर्भित) है और, (क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड(क) में निर्दिष्ट किसी भी कार्रवाई का पूरा होना धारा 144ग की उप-धारा (13) के तहत एक आदेश पारित करने या धारा 149 में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने या आयकर अधिनियम की धारा 151 के तहत मंजूरी से संबंधित है,

(i) मार्च, 2021 का 31 वां दिन उस अवधि की अंतिम तिथि होगी, जिसके दौरान आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित समय-सीमा ऐसी कार्रवाई के पूरा होने के लिए आती है; और

(ii) अप्रैल, 2021 का 30 वां दिन अंतिम तिथि होगी जिस तक इस तरह की कार्रवाई को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी।

स्पष्टीकरण- संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 149 में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने या इस उप-खंड के तहत आयकर अधिनियम की धारा 151 के तहत मंजूरी के प्रयोजनों के लिए , आयकर अधिनियम की धारा 148, धारा 149 और धारा 151 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, वित्त अधिनियम, 2021 के शुरू होने से पहले, मार्च 2021 के 31^{वें} दिन तक लागू होंगे।

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा

(1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी भी कार्रवाई का अनुपालन आयकर अधिनियम की धारा 139 ए की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित प्राधिकारी को आधार संख्या की सूचना देने से संबंधित है, इस तरह की कार्रवाई के अनुपालन के लिए समय-सीमा जून 2021के 30^{वें} दिन तक बढ़ा दी जाएगी।

(ख) जहां निर्दिष्ट अधिनियम वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) (इसके बाद वित्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) का अध्याय VIII है और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड(क) में निर्दिष्ट किसी भी कार्रवाई को पूरा करना वित्त अधिनियम की धारा 168 की उप-धारा (1) के तहत एक सूचना भेजने से संबंधित है, -

(i) मार्च, 2021 का 31वां दिन उस अवधि की अंतिम तिथि होगी जिसके दौरान वित्त अधिनियम में निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित समय सीमा ऐसी कार्रवाई के पूरा होने के लिए आती है; और

(ii) अप्रैल, 2021 का 30 वां दिन अंतिम तिथि होगी जिस तक इस तरह की कार्रवाई को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी।

[फा. सं. 370142/35/2020-टीपीएल]

22. सीबीडीटी द्वारा दिनांक 27.04.2021 की अधिसूचना के तहत एक और विस्तार जारी किया गया, जिसमें अन्य के अलावा, अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा 30.06.2021 तक बढ़ा दी गई। इस अधिसूचना में दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना के समान एक स्पष्टीकरण भी

शामिल है। संपूर्ण अधिसूचना को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। केवल स्पष्टीकरण का पुनरुत्पादन, जो चुनौती के अधीन है, पर्याप्त होगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

“स्पष्टीकरण:- संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 149 में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने या आयकर अधिनियम की धारा 151 के तहत मंजूरी के प्रयोजनों के लिए, इस उप-खंड, आयकर अधिनियम की धारा 148, धारा 149 और धारा 151 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, वित्त अधिनियम, 2021 के शुरु होने से पहले, मार्च 2021 के 31^{वें} दिन तक लागू होंगे।”

23. इस तरह के तथ्यों और लागू वैधानिक प्रावधानों की पृष्ठभूमि में, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क उठाए थे:-

(i) वित्त अधिनियम, 2021 के अधिनियमित होने पर आय के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित अधिनियम में निहित प्रावधानों को प्रावधानों के नए सेट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस तरह के प्रतिस्थापन पर पुराने प्रावधानों का अस्तित्व समाप्त हो गया। नए प्रस्तुत किए गए प्रावधानों में न तो स्पष्ट शब्दों में और न ही निहित कोई संकेत है कि विधायिका पिछली अवधि के लिए पुराने प्रावधानों को बनाए रखना चाहती है। मामले को देखते हुए 01.04.2021 के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की कोई भी कार्रवाई संशोधित प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए।

(ii) नए प्रावधानों को शामिल करने और पुराने के प्रतिस्थापन का असर पुराने प्रावधानों को निरस्त करने पर होगा जो उसके बाद लागू नहीं होंगे। हमारा ध्यान संसद में पुनर्मूल्यांकन के प्रस्तावित प्रावधानों को समझाते हुए दिये गये वित्त मंत्री के भाषण की ओर गया। हमारा ध्यान इन प्रावधानों को समझाने वाले खंडों पर नोट्स की ओर भी आकर्षित हुआ। यह तर्क दिया गया कि वित्त मंत्री का भाषण और खंडों पर ये नोट्स कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि वित्त अधिनियम, 2021 में निहित पुनर्मूल्यांकन के नए प्रावधान 01.04.2021 से प्रभावी होने वाले थे और पुराने प्रावधान समाप्त हो जाएंगे।

(iii) यह तर्क दिया गया था कि छूट अधिनियम, 2020 ने केवल सरकार को निर्दिष्ट अधिनियमों में निहित समय सीमा बढ़ाने के लिए अधिकृत किया है। इसमें कोई स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति शामिल नहीं थी। अधीनस्थ विधायिका को मूल अधिनियम द्वारा इसमें निहित शक्तियों की सीमाओं के प्रति प्रस्तुत करना चाहिए। स्पष्टीकरण के माध्यम से, अधीनस्थ विधायिका उन वैधानिक प्रावधानों को पुनर्जीवित नहीं कर सकती है जो समाप्त हो गए थे। दिनांक 31.03.2021 और 27.04.2021 की अधिसूचनाओं में निहित स्पष्टीकरण इस प्रकार अधीनस्थ विधान की शक्तियों के अधिकारातीत हैं और इसलिए असंवैधानिक हैं।

(iv) यह तर्क दिया गया कि कर कानूनों के तहत इरादे की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि दो विचार संभव हों तो निर्धारिती के पक्ष में एक विचार लिया जाना चाहिए। यह बताया गया कि इलाहाबाद और दिल्ली उच्च न्यायालयों की दो खंडपीठों ने पहले ही करदाताओं के पक्ष में इन मुद्दों पर निर्णय कर दिया है। कराधान के क्षेत्र में अखिल भारतीय कानून होने के नाते, न्यायालय को स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए दो डिवीजन बेंचों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के खिलाफ न्यायालय में अपील की जानी चाहिए।

(v) अंत में यह तर्क दिया गया कि **बीपीआईपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा.)²** के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकलपीठ ने **अशोक कुमार अग्रवाल (सुप्रा.)³** के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए रिट याचिकाओं को अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की है।

24. दूसरी ओर, राजस्व के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इन याचिकाओं का कड़ा विरोध किया और उनकी अपील की अनुमति देने के लिए दबाव डाला। उन्होंने तर्क दिया कि पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पुराने प्रावधानों का प्रतिस्थापन वैधानिक प्रावधानों के पिछले सेट को खत्म नहीं करेगा। वे पिछली अवधि के लिए प्रभाव जारी रखेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि पुनर्मूल्यांकन करने का नोटिस 01.04.2021 से पहले किसी भी अवधि के लिए जारी किया गया था, तो प्रासंगिक समय पर मौजूद प्रावधान लागू होंगे। ऐसे मामले में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले अधिनियम की धारा 148क के तहत निर्धारित प्रक्रिया

का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे इंगित करेंगे कि वर्तमान स्थिति अभूतपूर्व है और कोरोना वायरस के प्रसार के कारण उत्पन्न हुई है। इस अभूतपूर्व स्थिति में असाधारण उपाय करने की आवश्यकता थी। इसलिए छूट अध्यादेश, 2020 और छूट अधिनियम, 2020 को कार्रवाई करने और अनुपालन करने के लिए समय सीमा का विस्तार देते हुए तैयार किया गया था। ये विस्तार दोनों के लाभ के लिए थे, जो कार्य राजस्व द्वारा किए जाने थे और साथ ही अनुपालन जो निर्धारितियों द्वारा किए जाने थे। करदाता कोरोना वायरस के प्रसार के कारण प्रचलित असामान्य परिस्थितियों का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए सीबीडीटी ने छूट अधिनियम, 2020 की धारा 3 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया है जो केवल यह स्पष्ट करता है कि कौन से वैधानिक प्रावधान किसी भी तरह से प्रदान करते हैं। यह स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि अधिनियम के तहत अन्यथा क्या निहित है। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

25. कानून के दो प्रश्न जो हमारे विचार के लिए उठते हैं, वे इस प्रकार हैं:-

(i) क्या वित्त अधिनियम, 2021 के आधार पर 01.04.2021 से आय के पुनर्मूल्यांकन के लिए नए प्रावधानों की शुरुआत के बाद, तत्कालीन मौजूदा प्रावधानों को प्रतिस्थापित करते हुए, क्या प्रतिस्थापित प्रावधान जीवित रहेंगे और पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने के लिए उपयोग किया जा सकता है?

(ii) क्या सीबीडीटी के दिनांक 31.03.2021 और 27.04.2021 के परिपत्रों में निहित स्पष्टीकरण कानूनी और वैध हैं?

26. शुरुआत में हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि अन्य उच्च न्यायालयों ने इस स्थिति को कैसे देखा है। **अशोक कुमार अग्रवाल (सुप्रा.)⁴** के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ करते हुए निर्धारिती के पक्ष में निर्णय सुनाया है:-

“64. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा लागू तर्क की पहली पंक्ति के अनुसार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सिद्धांत का कोई अपवाद नहीं हो सकता है-विधायी प्रतिस्थापन का एक अधिनियम एक समग्र अधिनियम है। इस प्रकार,

विधायिका कानून के किसी मौजूदा प्रावधान को प्रतिस्थापित करने या किसी अन्य को स्थापित करने का विकल्प चुनती है। इसमें एक साथ चूक और पुनः अधिनियमन शामिल है। अपने स्वभाव से, एक बार पहले से मौजूद प्रावधान के स्थान पर एक नया प्रावधान डाल दिया गया है, तो पहले वाला प्रावधान जीवित नहीं रह सकता है, सिवाय उन चीजों के, जिन्हें किया जा चुका है या पहले से ही करने का बीड़ा उठाया गया है या जो चीजें करने के लिए स्पष्ट रूप से बचाई गई हैं। किसी भी स्पष्ट निर्वसन खंड के अभाव में और, चूंकि विधायी प्रतिस्थापन के अधिनियम से पहले कोई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी, इसलिए मामले के दूसरे पहलू को किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है।

65. इसलिए, अन्य बातों के अलावा, निर्विवाद रूप से, 01.04.2021 को, वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 1(2)(ए) के स्पष्ट/अप्रत्याशित प्रभाव के आधार पर, धारा 147, 148, 149, 151 के प्रावधान (चूंकि वे प्रावधान 31.03.2021 तक मौजूद थे), उस अधिनियम की धारा 148क के माध्यम से अधिनियमित एक नए प्रावधान के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया। किसी भी निर्वसन खंड के अभाव में, पहले से मौजूद (और अब प्रतिस्थापित) प्रावधानों को बचाने के लिए, राजस्व अधिकारी केवल प्रतिस्थापित कानून के अनुसार 01.04.2021 को या उसके बाद पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, न कि पहले से मौजूद कानूनों के अनुसार।

66. यह भी उतना ही सच है कि सक्षम अधिनियम जो पहले से मौजूद था, वित्त अधिनियम, 2021 के प्रवर्तन से पहले लागू किया गया था। इसने वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित अधिनियम का सामना किया, क्योंकि यह 01.04.2021 को अस्तित्व में आया था। सक्षम अधिनियम और वित्त अधिनियम, 2021 में, अधिनियम की धारा 147, 148, 149 या 151 के

प्रावधानों की प्रयोज्यता को बचाने के लिए, अपने आप में या कार्य को सौंपने के लिए किसी भी स्पष्ट प्रावधान का अभाव है, जैसा कि वे अस्तित्व में थे। 31.03.2021 तक. स्पष्ट रूप से, सक्षम अधिनियम केवल समय-सीमा बढ़ाने के लिए एक अधिनियम है। परिणामतः, यह उपरोक्त से प्रवाहित होता है- 01.04.2021 के बाद से, सक्षम अधिनियम में निहित नोटिस जारी करने के सभी संदर्भों को केवल प्रतिस्थापित प्रावधानों के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। समान रूप से लंबित कार्यवाहियों में पहले से मौजूद प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो कानून सामंजस्यपूर्ण हैं।

67. यह भी नहीं भूलना चाहिए, एक पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही एक साधारण कारण बताओ नोटिस से निकलने वाली एक और कार्यवाही नहीं है। दोनों, पहले से मौजूद कानून के तहत और 01.04.2021 से लागू कानून के तहत, यह कार्यवाही केवल मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से क्षेत्राधिकार ग्रहण किए जाने पर ही उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसे समय तक जब तक क्षेत्राधिकार को मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से ग्रहण नहीं कर लिया जाता है-धारा 148 के तहत क्षेत्राधिकार नोटिस जारी करने से प्रमाणित होता है, तब तक किसी भी पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं माना जा सकता है। राजस्व अधिकारियों की यह स्वीकारोक्ति कि रिट याचिकाओं के इस बैच में शामिल सभी पुनर्मूल्यांकन नोटिस प्रवर्तन दिनांक 01.04.2021 के बाद जारी किए गए थे, स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। वास्तव में, असंशोधित कानून के तहत, किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा कोई क्षेत्राधिकार नहीं माना गया था। इसलिए, सक्षम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कभी भी कोई समय विस्तार नहीं किया जा

सकता है, जिसे इसके तहत जारी अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाएगा।

68. भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की यह दलील कि सक्षम अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान ने उस अधिनियम पर एक अधिभावी प्रभाव डाला और इसलिए असंशोधित कानून के तहत मौजूद प्रावधानों को बचाया, को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वह बचत केवल तभी हो सकती है जब क्षेत्राधिकार दिनांक 01.04.2021 से पहले वैध रूप से ग्रहण किया गया हो। प्रथमतः सक्षम अधिनियम की धारा 3(1) कानून के किसी भी प्रावधान को बचाने की बात नहीं करती है। यह केवल कुछ कार्यवाहियों को सीमा के नियम से प्रभावित होने से बचाने या संरक्षित करने की बात करता है। वह प्रावधान भविष्य में संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून से किसी भी कार्यवाही को बचाने की बात भी नहीं करता है। दोनों कारणों से, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दी गई दलील अस्वीकार्य है।

69. अन्यथा भी गैर-अप्रत्याशित खंड बनाने वाला 'बावजूद' शब्द, सक्षम अधिनियम की धारा 3(1) के संपूर्ण दायरे को नियंत्रित नहीं करता है। यह केवल सक्षम अधिनियम की धारा 3(1) के दूसरे भाग के संदर्भ में ही सीमित है और इसका उपयोग किया जा सकता है अर्थात् पहले से चल रही कार्यवाही की रक्षा करना। उस प्रावधान की भाषा में उस खंड को दिए जाने वाले व्यापक या व्यापक अनुप्रयोग को स्वीकार करने के लिए कुछ भी नहीं है-उस प्रावधान और अधिनियमन के तहत विचार नहीं किए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिसमें यह प्रकट होता है।

70. उपरोक्त तर्क का निष्कर्ष यह है कि, सक्षम अधिनियम ने केवल कुछ कार्यवाहियों की रक्षा की है जो दिनांक 30.06.2021 तक, 20.03.2021 को कालबाधित हो सकती हैं। तदनुसार, केंद्र

सरकार द्वारा शामिल प्रत्यायोजित कानून द्वारा, वह उस समय सीमा को बढ़ा सकती है। अकेले वह समय सीमा 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई थी। हम यह भी ध्यान देते हैं, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यह कहने में पूरी तरह से सही नहीं हो सकते हैं कि 30.06.2021 से आगे कोई समय विस्तार नहीं दिया गया था। सक्षम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत जारी अधिसूचना संख्या 3814 दिनांक 17.09.2021 के माध्यम से 31.03.2022 तक समय का और विस्तार दिया गया है। किसी विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल के अभाव में, संसद के प्रतिनिधि को ऐसी सीमा को अनिश्चित काल तक बढ़ाने की अनुमति देना, एक अधिनियमित कानून अर्थात् वित्त अधिनियम, 2021 की वैधता को शक्ति के विशुद्ध रूप से पराजित करने की अनुमति देना होगा।

71. यहां, यह भी स्पष्ट किया जा सकता है, सक्षम अधिनियम की धारा 3(1) स्वयं पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही या अधिनियम की धारा 147 या धारा 148 की बात नहीं करती है क्योंकि यह 01.04.2021 से पहले मौजूद थी। यह केवल महामारी कोविड-19 के फैलने पर मौजूद सामान्य कठिनाई के कारण दी गई सीमा में सामान्य छूट प्रदान करता है। वित्त अधिनियम, 2021 के लागू होने के बाद, यह प्रतिस्थापित प्रावधानों पर लागू होता है, न कि पहले से मौजूद प्रावधानों पर।

72. अधिनियम की धारा 147 और 148 के पहले से मौजूद और अब प्रतिस्थापित प्रावधानों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही का संदर्भ केवल अधिनियम के तहत जारी बाद की अधिसूचनाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उन प्रावधानों की वैधता की जांच भी जरूरी है। हमने उपरोक्त निष्कर्ष निकाला है कि धारा 147, 148, 148क, 149, 150 और 151 के प्रावधानों ने अधिनियम के पुराने/पहले से मौजूद प्रावधानों को प्रतिस्थापित कर दिया है। 01.04.2021. हमने आगे यह निष्कर्ष

निकाला है कि दिनांक 01.04.2021 से पहले पुनर्मूल्यांकन की कोई कार्यवाही शुरू नहीं होने की स्थिति में, केवल संशोधित कानून ही लागू होगा। हम यह नहीं देखते हैं कि प्रतिनिधि अर्थात् केंद्र सरकार या सीबीडीटी ने स्पष्ट रूप से मुख्य कानून तक पहुंचने के लिए अधिसूचनाएं कैसे जारी की होंगी। जब तक ऊपर बताए अनुसार सामंजस्य नहीं बिठाया जाता, वे अधिसूचनाएँ अमान्य रहेंगी।

73. जब तक किसी भी कानून के तहत विशेष रूप से सक्षम नहीं किया जाता है और जब तक कि प्रत्यर्थियों द्वारा उस बोज़ का निर्वहन नहीं किया जाता है, हम भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा आगे दी गई दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि व्यावहारिकता यह तय करती है कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही की रक्षा की जाए। व्यावहारिकता, यदि कोई हो, कानून बनाने में सहायक हो सकती है। एक बार जब मामला न्यायालय में पहुंच जाता है, तो यह कानून और उसकी भाषा है, और उस भाषा में दी गई व्याख्या मुख्य रूप से कार्यवाही के परिणाम को नियंत्रित करने के लिए निर्णायक हो सकती है। अधिनियमित कानून में व्यावहारिकता पढ़ना खतरनाक है। साथ ही, इसमें न्यायालय द्वारा कानून बनाना भी शामिल होगा, एक ऐसा विचार जिससे हम सावधानीपूर्वक दूर रहेंगे।"

27. दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 2021 (12) टीएमआई 664 में प्रकाशित मोन मोहन कोहली बनाम सहायक आयकर आयुक्त के मामले में निर्धारिती के पक्ष में इस तरह के मुद्दे का निर्णय किया है। निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दिया जा सकता है:-

"42. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 1(2)(क) के आधार पर, आयकर अधिनियम, 1961 की प्रतिस्थापित धारा 147, 148, 149 और 151 पुनर्मूल्यांकन करने

से संबंधित अधिनियम 1 अप्रैल, 2021 को लागू हुआ। वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 1(2)(क) में 'होगा' अभिव्यक्ति के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह धारा 1(2)(ख) के तहत भाषा के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 108 से 123 ऐसी तारीख से लागू होंगी, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है। वित्त विधेयक, 2021 का ज्ञापन भी स्पष्ट करता है कि इसकी धारा 2 से 88 जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की प्रतिस्थापित धारा 147 से 151 शामिल हैं, 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगी। कार्यपालिका के पास भी कोई शक्ति नहीं है /प्रत्यर्थी/राजस्व वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 2 से 88 के कार्यान्वयन को स्थगित/स्थगित करने के लिए, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की प्रतिस्थापित धारा 147 से 151 शामिल हैं।

43. यह स्थापित कानून है कि धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की तारीख पर प्रचलित कानून लागू करना होगा। [देखें: फोरमर बनाम सीआईटी (2001) 247 आईटीआर 436 (अलाहाबाद), सीआईटी और अन्य (2002) 257 आईटीआर 231 (केर), श्रीमती। एन. इलमैथी बनाम आईटीओ (2020) 275 टैक्समैन 25/195 सीटीआर 543 (मैड)(एचसी), आर.के. उपाध्याय बनाम शनाभाई, (1987) 166 आईटीआर 163 (एससी); सीआईटी बनाम रामेश्वर प्रसाद, (1991) 188 आईटीआर 291 (सभी एचसी); डॉ. ओंकार दत्त शर्मा बनाम सीआईटी, (1967) 65आईटीआर 359 (सभी एचसी)] जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा (2003) 264 आईटीआर 566 (एससी), वर्की जैकब कंपनी बनाम में पुष्टि की गई।

44. इस न्यायालय का विचार है कि यदि विधायिका का इरादा पूर्ववर्ती प्रावधानों को जीवित रखने का होता, तो वह 1 जुलाई,

2021 से नए प्रावधानों को प्रस्तुत करता, जो नहीं किया गया है। तदनुसार, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद धारा 148 के तहत जारी किए गए किसी भी आकलन वर्ष से संबंधित नोटिस को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147, 148, 148क, 149 और 151 के प्रावधानों का पालन करना होगा, जैसा कि विशेष रूप से 1 अप्रैल, 2021 से वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

46. छूट अधिनियम, 2020 की धारा 3(1) के अवलोकन पर, इस न्यायालय का विचार है कि यह केवल समय सीमा बढ़ाता है। छूट अधिनियम, 2020 की धारा 3(1) में कहा गया है कि जहां, किसी निर्दिष्ट अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, जो इस तरह के पूरा होने या अनुपालन के लिए 20 मार्च, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के बीच आती है। निर्दिष्ट अधिनियमों के प्रावधानों के तहत किसी भी नोटिस जारी करने के रूप में कार्रवाई और जहां ऐसी कार्रवाई का पूरा होना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो ऐसी कार्रवाई के पूरा होने या अनुपालन की समय सीमा, निर्दिष्ट अधिनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, नहीं होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि छूट अधिनियम, 2020 की धारा 3(1) केंद्र सरकार को किसी विशेष तिथि से लागू किए गए किसी भी प्रावधान की प्रयोज्यता को स्थगित करने का अधिकार नहीं देती है। किसी कार्य के समय के विस्तार, जो समयबाधित हो रहा है और उस प्रावधान की प्रयोज्यता, जिसे विधानमंडल द्वारा अधिनियमित और अधिसूचित किया गया है, के बीच अंतर है। छूट अधिनियम, 2020 कहीं भी केंद्र सरकार को विधानमंडल द्वारा बनाए गए नए कानून की प्रयोज्यता की तारीख को स्थगित करने की शक्ति नहीं देता है। शिथिलीकरण अधिनियम, 2020 विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति पर कोई प्रतिबंध

नहीं लगाता है।

47. साथ ही, 31 मार्च, 2021 और 27 अप्रैल, 2021 की अधिसूचनाओं में दिए गए स्पष्टीकरण सरकार को सौंपी गई शक्ति से परे हैं, क्योंकि छूट अधिनियम सरकार को पूर्ववर्ती धारा 147 से 151 को 3 1 से आगे बढ़ाने की शक्ति नहीं देता है। मार्च, 2021 और/या वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा अधिनियमित प्रतिस्थापित प्रावधानों के संचालन को स्थगित कर दें। तदनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के तहत नोटिस जारी करने और जमा करने से पहले धारा 148क के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना था। प्रत्यर्थी-राजस्व, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पलक खाटूजा बनाम यूओआई (सुप्रा.) में पारित निर्णय के आधार पर इस न्यायालय का समर्थन नहीं मिला। आखिरकार, यह स्थापित कानून है कि कार्यपालिका संसद से विशिष्ट प्राधिकार के बिना देश का कानून बना या बदल नहीं सकती है।

48. परिणामतः, छूट अधिनियम, 2020 और उसके तहत जारी अधिसूचनाएं केवल धारा 148 नोटिस जारी करने के लिए लागू समय-सीमा को बदल सकती हैं, लेकिन वे उस पर लागू वैधानिक प्रावधानों को नहीं बदल सकते हैं जिनका सख्ती से अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अलावा, जिस तरह कार्यपालिका कानून नहीं बना सकती, उसी तरह वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के कार्यान्वयन में बाधा नहीं डाल सकती।”

28. बीपीआईपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा.)⁵ के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकलपीठ ने अशोक कुमार अग्रवाल (सुप्रा.)⁶ के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को नोट किया है और इसी तरह के करदाताओं की रिट याचिकाओं को अनुमति दी है। परिस्थितियाँ। यह निर्णय निश्चित रूप से हमारे समक्ष अपील में है।

29. बगरिया प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय संघ

(डब्ल्यूपीओ संख्या 244/2021) ने 17.01.2022 को निर्णित मामले में हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकलपीठ ने निर्णय सुनाया और इलाहाबाद और दिल्ली उच्च न्यायालय के समान दृष्टिकोण अपनाया और रिट याचिका की अनुमति दी।

30. पलक खाटूजा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2021) 438 आईटीआर 622 में प्रकाशित मामले में अपनाया गया एकमात्र असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकलपीठ का है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें विद्वान एकलपीठ ने दिनांक 31.03.2021 और 27.04.2021 की अधिसूचनाओं के आधार पर पुनर्मूल्यांकन के नोटिस की वैधता को बरकरार रखा था। अधिनियम की धारा 148 का आवेदन जो मूल रूप से संशोधन से पहले विद्यमान थी, स्थगित कर दी गई थी, जिसका अर्थ है कि 31.03.2021 से पहले प्रचलित पुनर्मूल्यांकन तंत्र को अधिसूचना द्वारा बचाया गया था।

31. अब हम अपने सामने उद्धृत विभिन्न निर्णयों में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों और कानून की सहायता से इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं देने का प्रयास कर सकते हैं, हम कराधान के क्षेत्र में लागू कुछ सिद्धांतों का सारांश दे सकते हैं और निर्णय के दौरान कौन से सिद्धांत लागू किए जाएंगे।:-

(i) एक कर कानून की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। इक्विटी का कराधान में कोई स्थान नहीं है और न ही कराधान कानून की व्याख्या करते समय इरादा का कोई स्थान होगा।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, (2004) 10 एससीसी 201, के मामले में संविधान के अनुच्छेद 265 का जिक्र करते हुए जो प्रावधान करता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा, यह देखा गया कि एक कर कानून की व्याख्या करने में, न्यायसंगत विचार पूरी तरह से जगह से बाहर हैं। कर संबंधी कानूनों की व्याख्या किसी भी अनुमान या अनुमान से नहीं की जा सकती। किसी कर संबंधी कानून की व्याख्या स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई बातों के आधार पर की जानी चाहिए; इसका कोई ऐसा अर्थ नहीं हो सकता जो व्यक्त न किया गया

हो; यह किसी भी कमी को पूरा करने के लिए क़ानून में प्रावधानों का स्वीकार नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति पर कर लगाने से पहले धारा में प्रयुक्त स्पष्ट शब्दों द्वारा यह दर्शाया जाना चाहिए कि वह कर लगाने की धारा के दायरे में आता है और यदि शब्द अस्पष्ट हैं और दो व्याख्याओं के लिए खुले हैं, तो व्याख्या का लाभ विषय को दिया जाता है। यदि विधायिका द्वारा स्वयं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में विफलता के कारण क़ानून का अक्षर उसे पकड़ने में विफल रहता है तो करदाता के भागने में कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है।

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम **दिलीप कुमार एंड कंपनी एंड अन्य, (2018) 9 एससीसी 1**, के मामले में संविधान पीठ ने इन सिद्धांतों को दोहराया था। यह एक ऐसा मामला था जहां बड़ी बेंच के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या कर छूट प्रावधान या अधिसूचना में अस्पष्टता है, तो इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि करदाता के पक्ष में हो। कर संबंधी क़ानून के चार्जिंग प्रावधान और छूट अधिसूचना के बीच स्पष्ट अंतर करते हुए, जो सामान्य रूप से लगाए गए कर या लेवी को माफ कर देता है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:-

“14. हम यहां स्वयं देख सकते हैं कि कर प्रावधान (चार्जिंग प्रावधान) की व्याख्या करने और छूट अधिसूचना की व्याख्या के मामले में अंतर इतना स्पष्ट है कि किसी भी विस्तार की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, संक्षेप में, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि, जैसा कि सुरेंद्र कॉटन ऑयल मिल्स मामले में देखा गया है, कराधान क़ानून की धारा चार्ज करने की व्याख्या के मामले में, व्याख्या का सख्त नियम अनिवार्य है और यदि इस मामले में दो दृष्टिकोण संभव हैं चार्जिंग अनुभाग की व्याख्या, जो निर्धारिती के लिए अनुकूल हो, उसे लागू करने की आवश्यकता है। हालाँकि, कराधान क़ानूनों के तहत प्रकाशित छूट अधिसूचना की व्याख्या के मामले में भ्रम है और इस क्षेत्र में भी, निर्णय बहुतायत में हैं।

24. दंडात्मक क़ानूनों और कराधान क़ानूनों की व्याख्या करते

समय, न्यायालय को व्याख्या के सख्त नियम लागू करने होंगे। दंडात्मक कानून जो किसी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करता है, उसकी सख्त व्याख्या की जानी चाहिए अन्यथा कई निर्दोष विवेकाधीन निर्णय लेने के शिकार बन सकते हैं। जहां तक कराधान कानून का प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 265 राज्य को कानून के अधिकार के बिना नागरिकों से कर वसूलने से रोकता है। यह स्वयं सिद्ध है कि कराधान कानून की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए क्योंकि राज्य अपनी सनक और पसंद के अनुसार कानून के अधिकार के बिना नागरिकों पर बोझ नहीं डाल सकता है। दूसरे शब्दों में, जब सक्षम विधायिका कुछ परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों/कुछ वस्तुओं पर कर लगाने का आदेश देती है, तो इसका विस्तार/व्याख्या उन लोगों को शामिल करने के लिए नहीं की जा सकती है, जिनका विधायिका द्वारा इरादा नहीं था।"

(ii) अखिल भारतीय प्रभाव का केंद्रीय कानून होने और कराधान के क्षेत्र में काम करने के कारण, किसी अन्य उच्च न्यायालय के विचार का काफी प्रेरक मूल्य होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही व्यक्त किए गए दृष्टिकोण का उचित सम्मान करेगा और संभावित सीमा तक मतभेद के बजाय देश भर में विचारों की स्थिरता को प्राथमिकता देगा। जब तक किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार स्पष्ट रूप से न्यायालय के लिए अस्वीकार्य न हो, तब तक उच्च न्यायालय किसी अन्य न्यायालय द्वारा पहले ही व्यक्त किए गए सुविचारित दृष्टिकोण के पक्ष में झुक जाएगा।

(iii) भाषण में वित्त मंत्री ने सदन में बजटीय प्रावधानों को समझाते हुए कहा कि यह कर प्रावधानों की व्याख्या करने में एक उपयोगी उपकरण प्रदान करेगा, विशेषकर उस स्थिति में जब उनकी व्याख्या के बारे में विवाद उत्पन्न होता है। जब बजट का संचालन करने वाली वित्त मंत्री अपने भाषण में वित्त विधेयक में निहित प्रावधानों की व्याख्या करता हैं और उस कुप्रथा के बारे में विस्तार से

बताता हैं जो प्रचलित है और जिसे मौजूदा वैधानिक प्रावधानों को प्रतिस्थापित करके ठीक करने की कोशिश की जाती है, तो वित्त मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण ऐसे प्रावधानों की सही व्याख्या के संदर्भ में काफी मायने रखता है।

एकमात्र ट्रस्टी लोक शिक्षण ट्रस्ट बनाम आयकर आयुक्त, (1975) 101 आईटीआर

234 में प्रकाशित मामले में, यह कहा गया था:-

“यह सच है कि इस विषय पर संसद में बहस के दौरान किसी भी वक्ता द्वारा कही गई बातों से किसी अधिनियम में इस्तेमाल किए गए शब्दों का अर्थ इकट्ठा करना खतरनाक और भ्रामक हो सकता है। इस तरह के भाषण का उपयोग उस अर्थ को हराने या उससे अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो वास्तव में उपयोग किए गए अधिनियमित शब्दों पर विचार करने से स्पष्ट रूप से उभरता है। लेकिन, हमारे सामने मौजूद मामले में, इस्तेमाल किए गए शब्दों के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को इस विषय पर कानून के पिछले इतिहास और संशोधन के प्रस्तावक के भाषण के बिना बिल्कुल भी संतोषजनक ढंग से नहीं समझा जा सकता है, जो निस्संदेह, इसमें शामिल थे। यह समझाने के लिए सर्वोत्तम स्थिति है कि संशोधन में कानून की किस खामी को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह सिर्फ संसद में किसी सदस्य का भाषण नहीं था। यह वित्त मंत्री का सुविचारित बयान था जो एक विशेष कारण से संशोधन का प्रस्ताव कर रहे थे जिसका उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया था। यदि उनके द्वारा दिया गया कारण केवल वही स्पष्ट करता है जो संशोधित प्रावधान में प्रयुक्त शब्दों से भी समझा जा सकता है, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें इसे सही व्याख्या में सहायता के रूप में मानने से इनकार क्यों करना चाहिए। यह इस्तेमाल किए गए शब्दों के वास्तविक इरादे के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और स्पष्ट करता है। क्या ऐसी परिस्थितियों में हमें इसे नज़रअंदाज़ करना चाहिए?”

के.पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी (1981) 131 आईटीआर 597 में प्रकाशित

मामले में निम्नानुसार देखा गया था:-

"अब यह सच है कि जब एक वैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए एक विधेयक पर बहस की जा रही है, तो सदन के पटल पर विधानमंडल के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण वैधानिक प्रावधान की व्याख्या के उद्देश्य से अस्वीकार्य हैं, लेकिन विधेयक के प्रस्तावक द्वारा विधेयक के पुरस्थापन के कारण को स्पष्ट करने के उद्देश्य से दिए गए भाषण को निश्चित रूप से वांछित शरारत का पता लगाने के उद्देश्य से संदर्भित किया जा सकता है विधान और उद्देश्य और उद्देश्य जिसके लिए विधान अधिनियमित किया गया है, द्वारा उपचारित किया जाता है। यह न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि भारत में भी न्यायिक विचार में हाल की प्रवृत्ति के अनुरूप है कि एक कानून की व्याख्या अर्थ के निर्धारण में एक अभ्यास है, जो कुछ भी तार्किक रूप से प्रासंगिक है वह स्वीकार्य होना चाहिए। वास्तव में इस न्यायालय के कम से कम तीन निर्णय हैं, एक, एकमात्र ट्रस्टी लोका शिक्षण ट्रस्ट बनाम सीआईटी: [1975]101 आईटीआर 234, दूसरा इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स बनाम सीआईटी में: [1975]101 आईटीआर 796 और तीसरा, अतिरिक्त सीआईटी बनाम सूरत आर्ट सिल्क क्लॉथ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन में [1980] 121 आईटीआर 1/[1980] 2 टैक्समैन 501, जहां अधिनियम की धारा 2 खंड (15) में अपवर्जन खंड को पुरस्थापित करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण पर न्यायालय द्वारा यह पता लगाने के उद्देश्य से भरोसा किया गया था कि उस खंड को पुरस्थापित करने का क्या कारण था। उपधारा (2) को पुरस्थापित करते हुए संशोधन उपस्थित करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें उप-धारा (2) को पारित किया गया, वह

कौन सी शरारत थी जिसके लिए धारा 52 जैसा कि यह तब थी, का प्रावधान नहीं था और जिसे उप-धारा (2) के अधिनियमन द्वारा दूर करने की मांग की गई थी और उप-धारा (2) के अधिनियमन को क्यों आवश्यक पाया गया। वित्त मंत्री के भाषण से यह स्पष्ट है कि उप-धारा (2) को उन मामलों तक पहुंचने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था जहां हस्तांतरण के संबंध में विचाराधीन विवरण था या इसे अलग तरीके से रखने के लिए, हस्तांतरण के लिए प्राप्त वास्तविक प्रतिफल निर्धारिती द्वारा घोषित या दिखाए गए की तुलना में 'काफी अधिक' था, लेकिन जो उप-धारा (1) द्वारा कवर नहीं किए गए थे क्योंकि अंतरिती प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारिती से संबंधित नहीं था। उप-धारा (2) का उद्देश्य, जैसाकि वित्त मंत्री के भाषण से स्पष्ट किया गया था, ईमानदार और वास्तविक लेनदेन पर प्रहार करना नहीं था, जहां हस्तांतरण के लिए विचार निर्धारिती द्वारा सही ढंग से प्रकट किया गया था, लेकिन कराधान के जाल में लाने के लिए उन लेनदेन को लाने के लिए जहां हस्तांतरण के संबंध में विचार वास्तव में निर्धारिती द्वारा प्राप्त आंकड़े से कम आंकड़े पर दिखाया गया था, ताकि वे प्रतिफल के अंडर-स्टेटमेंट द्वारा पूंजीगत लाभ पर कर के आरोप से बच न जाएं। यह उप-धारा (2) के अधिनियमन का वास्तविक उद्देश्य और उद्देश्य था और इस उप-धारा की व्याख्या उस उद्देश्य और उद्देश्य की उन्नति के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए हमें उप-धारा (2) की अंतर्निहित धारणा के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हस्तांतरण के संबंध में विचार का विवरण है और उप-धारा (2) केवल वहीं लागू होती है जहां निर्धारिती द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रतिफल का खुलासा नहीं किया जाता है और हस्तांतरण के संबंध में घोषित विचार वास्तव में प्राप्त आंकड़े से कम आंकड़े पर दिखाया जाता है।“

(iv) यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि एक पूर्ण पुनर्मूल्यांकन से

निर्धारिती को बहुत कठिनाई होती है और अनिश्चितता भी होती है। गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त [2013] 350 आईटीआर 266 (गुजरात) में प्रकाशित मामले में एक निर्णय में, गुजरात उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार कहा था:-

"41. अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्तियां विशेष शक्तियां हैं और प्रकृति में अजीब हैं जहां एक अर्ध-न्यायिक आदेश पहले पूर्ण सुनवाई के बाद पारित किया गया था और जो अन्यथा अंतिम हो गया है, कुछ आधारों पर पुनर्मूल्यांकन करने के अधीन है। आमतौर पर, एक न्यायिक या अर्ध-न्यायिक आदेश अपील, संशोधन या यहां तक कि समीक्षा के अधीन होता है यदि कानून अनुमति देता है लेकिन उसी प्राधिकरण द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऐसी शक्तियां विधायिका द्वारा संभवतः दावों, कटौतियों और छूटों के कई प्रश्नों से संबंधित बड़ी संख्या में निर्धारितियों को शामिल करने वाली मूल्यांकन कार्यवाही की अत्यधिक जटिल प्रकृति को देखते हुए निहित की जाती हैं, जिन्हें एक समय सीमा में पूरा किया जाना होता है। राजस्व के हितों की रक्षा के लिए, इसलिए, अधिनियम की धारा 147 के तहत ऐसे विशेष प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, यह सराहना की जानी चाहिए कि फिर से खोले जाने पर जांच के बाद पहले तैयार किए गए मूल्यांकन के परिणामस्वरूप निर्धारिती को काफी कठिनाई होती है। कर निर्धारण न केवल उन आधारों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जो कारणों में दर्ज किए जाते हैं, बल्कि संपूर्ण मूल मूल्यांकन के संबंध में भी, निश्चित रूप से राजस्व के हार्थों में होता है। यह स्पष्ट रूप से काफी कठिनाई और अनिश्चितता को जन्म देगा। यही कारण है कि ऐसी शक्तियों को मान्यता देते हुए भी, संविधि की विशेष अपेक्षाओं में, संविधि द्वारा कतिपय सुरक्षोपाय प्रदान किए जाते हैं जिनका न्यायालयों द्वारा उत्साहपूर्वक संरक्षण किया जाता है। ऐसे

वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, अदालतों पर अदालतों ने माना है कि पहले से तैयार किए गए मूल्यांकन को केवल राय बदलने पर फिर से नहीं खोला जा सकता है। यह कहा गया है कि पुनर्मूल्यांकन की शक्ति को समीक्षा के साथ बराबर नहीं किया जा सकता है।

32. यह तथ्य कि वित्त अधिनियम, 2021 के तहत पुनर्मूल्यांकन के प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया गया था, संदेह से परे है। प्रत्येक चरण में प्रासंगिक संशोधन करने के लिए खंडों पर नोटिस स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि विधेयक मौजूदा प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। उदाहरण के लिए यह कहा गया है कि खंड 35 आय से बचने के मूल्यांकन से संबंधित अधिनियम की धारा 147 में संशोधन करना चाहता है। इसी तरह खंड 36 के तहत धारा 148 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 147 के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना करने से पहले और धारा 148क के प्रावधानों के अधीन मूल्यांकन अधिकारी करदाता को एक प्रति के साथ एक नोटिस देगा। धारा 148 के खंड(घ) के तहत पारित आदेश। वित्त अधिनियम स्वयं धारा 147, 148 और 149 आदि के प्रतिस्थापन के साथ-साथ धारा 148क को जोड़ने का भी उल्लेख करता है, जैसा कि उल्लेख किया गया था, पहली बार प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्री ने सदन में जो भाषण दिया, उसमें बताया गया कि पुनर्मूल्यांकन करने के लिए समय सीमा को कम करने का प्रस्ताव था। जापन में वित्त विधेयक, 2021 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह प्रावधान किया गया कि विधेयक पुनर्मूल्यांकन के मामलों के मूल्यांकन के लिए एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है। यह बताया गया कि नई धारा 148क मूल्यांकन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने का प्रस्ताव करती है। इसमें आगे निम्नानुसार कहा गया था:-

“एक और प्रतिबंध प्रदान किया गया है कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस 1 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले शुरू होने वाले प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए किसी भी समय जारी नहीं किया जा सकता है, यदि इस तरह का नोटिस उस समय

जारी नहीं किया जा सकता था खंड (ख) के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा से परे होने के कारण, जैसा कि वे प्रस्तावित संशोधन से ठीक पहले थे।

चूंकि खोज या मांग के मामलों में मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना (जहां ऐसा हो)।

खोज या मांग 31 मार्च 2021 को या उससे पहले शुरू या की जाती है) अधिनियम की धारा 153क, 153बी, 153ग और 153डी के प्रावधान के अनुसार की जानी है, उपरोक्त समय सीमा ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगी।

33. भारत सरकार और अन्य बनाम भारतीय तंबाकू संघ प्रकाशित मामले में, उच्चतम न्यायालय ने नए प्रावधान द्वारा एक वैधानिक प्रावधान के प्रतिस्थापन के प्रभाव पर निम्नानुसार विचार किया था:-

“15. शब्द "स्थानापन्न" का सामान्यतः अर्थ होगा "(एक को) दूसरे के स्थान पर रखना"; या "बदलने के लिए"। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, 5^{वें} संस्करण में, पृष्ठ 1281 पर, "स्थानापन्न" शब्द को "किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर रखना" के रूप में परिभाषित किया गया है। या "विनिमय करना"। कोलिन्स अंग्रेजी शब्दकोश में, "स्थानापन्न" शब्द को "किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर सेवा करना या सेवा करने के लिए प्रेरित करना" के रूप में परिभाषित किया गया है; "(अणु में एक परमाणु या समूह) को (दूसरे परमाणु या समूह) से बदलना"; या "एक व्यक्ति या चीज़ जो दूसरे के स्थान पर कार्य करता है, जैसे कि खेल में एक खिलाड़ी जो एक घायल सहकर्मी की जगह लेता है"।

25. जिले सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में। जिसमें 1994 के अधिनियम संख्या 15 द्वारा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में एक संशोधन का प्रभाव, जिसके तहत "बाद" शब्द को "तक" शब्द से प्रतिस्थापित किया गया था,

विचार के लिए गिर गया; जिसमें लाहोटी, सी.जे. ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए उक्त संशोधन को घोषणात्मक प्रकृति का होने के कारण पूर्वव्यापी प्रभाव वाला माना, जिससे पहले संशोधन में होने वाली स्पष्ट बेतुकी बात को हटा दिया गया और विधायिका वास्तव में जो प्रदान करने का इरादा रखती थी, उसके अनुरूप लाया गया। (एससीसी पृष्ठ 12 पैरा 23-25)

"23. द्वितीय संशोधन अधिनियम की धारा 2 के पाठ में "'तक" शब्द को "बाद" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का प्रावधान है। उसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और प्रभाव क्या है- "प्रतिस्थापित किया जाएगा"?"

24. एक पाठ का प्रतिस्थापन दूसरे पहले से मौजूद पाठ के लिए करना विधायी प्रारूपण में नियोजित ज्ञात और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रथाओं में से एक है। 'प्रतिस्थापन' को 'अधिक्रमण' या किसी मौजूदा प्रावधान के मात्र निरसन से अलग करना होगा।

25. एक प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पहले प्रावधान का निरसन और नए प्रावधान द्वारा इसके प्रतिस्थापन में परिणाम होता है (देखें वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, उक्त, पृष्ठ 565)। यदि प्रस्ताव के समर्थन में किसी प्राधिकार की आवश्यकता है, तो इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य बनाम मांगीलाल पिंडवाल, कोटेश्वर विठ्ठल कामथ बनाम के रंगप्पा बलिगा एंड कंपनी और ए.एल.वी.आर.एस.टी वीरप्पा चेट्टियार बनाम एस.

माइकल में पाया जाना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने पुराने नियम के स्थान पर नए नियम को प्रतिस्थापित करके पुराने नियम को जीवित रखने का इरादा कभी नहीं किया। इस मुद्दे के इर्द-गिर्द केंद्रित परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने माना कि प्रतिस्थापन का पुराने नियम को हटाने और नए नियम को ऑपरेटिव बनाने का प्रभाव था। मांगीलाल पिंडवाल मामले में इस न्यायालय ने एक कानून के पाठ में शामिल किए जा रहे प्रतिस्थापन द्वारा संशोधन की विधायी प्रथा को बरकरार रखा, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया था और यह माना गया कि प्रतिस्थापन का उस अवधि के दौरान कानून के संचालन में संशोधन करने का प्रभाव होगा जिसमें यह लागू था। कोटेश्वर मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक नियम के 'अधिक्रमण' और एक नियम के 'प्रतिस्थापन' के बीच अंतर पर जोर दिया और कहा कि प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में दो चरण होते हैं: पहला, पुराने नियम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और अगला, इसके स्थान पर नया नियम अस्तित्व में लाया जाता है।

34. एमपी बनाम केडिया लेदर एंड लिकर लिमिटेड और अन्य 7 एससीसी 389

में प्रकाशित मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

“13. निहितार्थ द्वारा निरसन के विरुद्ध धारणा है; और इस नियम का कारण इस सिद्धांत पर आधारित है कि कानून बनाते समय विधायिका को उसी विषय वस्तु पर मौजूदा कानूनों की पूरी

जानकारी होती है, और इसलिए, जब वह निरसन प्रावधान प्रदान नहीं करता है, तो इरादा स्पष्ट है कि ऐसा नहीं किया जाएगा। मौजूदा कानून को निरस्त करें। (देखें: म्यूनिसिपल काउंसिल, पलाई बनाम टी.जे. जोसेफ, नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, दिल्ली नगर निगम बनाम शिव शंकर और रतन लाल अडुकिया और अन्य बनाम यूनियन भारत के।) जब नए अधिनियम में उन अधिनियमों का उल्लेख करते हुए एक निरसन अनुभाग शामिल होता है जिन्हें यह स्पष्ट रूप से निरस्त करता है, तो अनुमान अन्य कानूनों के निहित निरसन के खिलाफ सिद्धांत एक्सप्रेसियो यूनिस (पर्सन वेल री) इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरियस पर और भी मजबूत किया गया है। (एक व्यक्ति या चीज़ का स्पष्ट इरादा दूसरे का बहिष्कार है), जैसा कि गार्नेट बनाम ब्रैडली में स्पष्ट रूप से कहा गया है। निरसन के किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, मौजूदा कानून को जारी रखना निहितार्थ से उस पर जोर देने वाली पार्टी पर निर्भर करता है। हालाँकि, अनुमान का खंडन किया जाता है और आवश्यक निहितार्थ द्वारा निरसन का अनुमान लगाया जाता है जब बाद के अधिनियम के प्रावधान पिछले अधिनियम के प्रावधानों के साथ इतने असंगत या प्रतिकूल होते हैं और दोनों एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन, यदि दोनों को एक साथ पढ़ा जा सकता है और पिछले अधिनियम में शब्दों का कुछ अनुप्रयोग किया जा सकता है, तो निरसन का अनुमान नहीं लगाया जाएगा। (देखें: ए.जी. बनाम मूर, रतन लाल मामला और आर.एस. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य)।”

35. राजस्थान राज्य बनाम मांगीलाल पिंडवाल, (1996) 5 एससीसी 60 में प्रकाशित मामले में यह देखा गया कि किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पुराने प्रावधान को निरस्त कर दिया जाता है और नए प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। निरसन से निरस्त किए गए प्रावधानों का निरसन की तारीख से अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रावधानों का संचालन,

जैसा कि निरसन से पहले था, प्रभावित नहीं होता है। इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:-

“9. जैसा कि इस न्यायालय ने बताया है, वैधानिक प्रावधान के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में पहले दो चरण होते हैं; पुराने नियम को समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नया नियम अस्तित्व में लाया जाता है। [कोटेश्वर विट्ठल कामथ बनाम, के. रंगप्पा एंड कंपनी, एससीआर पृष्ठ पर देखें। 48] दूसरे शब्दों में, किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पिछला प्रावधान निरस्त हो जाता है और उसके स्थान पर नया प्रावधान आ जाता है। जहां तक किसी कानून को निरस्त करने का संबंध है, कानून इस प्रकार वैधानिक निर्माण पर सदरलैंड में कहा गया है:

"किसी कानून के निरसन का प्रभाव जहां निरसन के प्रभाव के लिए शासी नियम निर्धारित करने के लिए न तो कोई बचत खंड और न ही कोई सामान्य बचत कानून मौजूद है, भविष्य में निरस्त अधिनियम की प्रभावशीलता को नष्ट करना और आगे बढ़ने के अधिकार को छीनना है। कानून के तहत, जो पिछली और बंद की गई कार्यवाहियों को छोड़कर, ऐसा माना जाता है जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था।" [वॉल्यूम. 1, पैरा 2042, पृ.522-523]

10. इसी तरह क्रॉफर्ड के कानूनों की व्याख्या में यह कहा गया है: "निरसन का प्रभाव, आम तौर पर-पहली जगह में, एक एकमुश्त निरसन फ्यूचरो में निरस्त अधिनियम की प्रभावशीलता को नष्ट कर देगा और एक सामान्य नियम के रूप में, उस पर निर्भर अधिकारों को नष्ट करने के लिए काम करेगा। कई मामलों में, हालांकि, जहां कानून निरस्त कर दिए गए हैं, वे उस अवधि के कानून बने रहते हैं जिसके दौरान वे कई मामलों के संदर्भ में लागू थे। [पीपी.640-641] 10.

11. लॉर्ड टैंटरडेन और टिंडल की टिप्पणियाँ, सी.जे. ने क्रेज़ ऑन स्टैट्यूट लॉ में उपरोक्त उल्लिखित अंशों में यह भी संकेत दिया है कि यह सिद्धांत कि निरसन पर एक कानून को मिटा दिया जाता है, इस अपवाद के अधीन है कि यह अतीत और बंद लेनदेन के संबंध में मौजूद है। इसी प्रभाव के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित जबड़ा है। [देखें: कुदरत उल्लाह बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड। बरेली, एससीआर एट पी. 539]

12. इसका मतलब यह है कि किसी कानून के निरसन के परिणामस्वरूप निरस्त कानून ऐसे निरसन की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहता है लेकिन निरसन कानून के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करता है जिसे उस अवधि के दौरान निरस्त कर दिया गया है जो इसके लागू होने की अवधि के दौरान ऐसे निरसन की तारीख से पहले निरस्त किया गया था।

36. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उनके प्रतिस्थापन पर मूल प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए निरस्त कर दिए गए और प्रतिस्थापन प्रावधानों की शुरुआत के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं था। हम सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 का उल्लेख कर सकते हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि जहां राज्य अधिनियम या केंद्रीय अधिनियम या विनियमन किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है, वहां जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो, निरसन उस समय लागू या मौजूदा नहीं होने वाली किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित नहीं करेगा। जिस पर निरसन प्रभावी होता है या इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित करता है या उसके तहत विधिवत किया या भुगता गया कुछ भी। प्रतिस्थापन के बाद की परिस्थितियों में जब तक कि कानून की योजना में पहले से मौजूद या नई शुरू की गई कोई मंशा स्पष्ट न हो, प्रतिस्थापित प्रावधान जीवित नहीं रहेंगे।

37. इस संदर्भ में हमने वित्त अधिनियम, 2021 में निहित पुनर्मूल्यांकन के प्रावधानों का अध्ययन किया है। हमने पहले देखा है कि पुनर्मूल्यांकन की नई योजना ने इन प्रावधानों के तहत प्रमुख विचलन किया है। पुनर्मूल्यांकन के लिए

नोटिस जारी करने की समय सीमा बदल दी गई है। करदाता की ओर से सभी भौतिक तथ्यों का सही या पूरी तरह से खुलासा करने में विफलता के कारण कर से बचने के मूल्यांकन के लिए प्रभार्य आय की अवधारणा अब प्रासंगिक नहीं है। अधिनियम की धारा 148 के तहत विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जो मूल्यांकन अधिकारी को उस सामग्री के संबंध में पूछताछ करने में सक्षम बनाता है जो बताती है कि आय मूल्यांकन से बच गई है, निर्धारिती को नोटिस जारी करना और यह पूछना कि धारा 148 के तहत नोटिस क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए और इस पर विचार करते हुए आदेश पारित करना। धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए मामला उपयुक्त है या नहीं, यह तय करते समय निर्धारिती की प्रतिक्रिया सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री। इन सभी प्रावधानों में ऐसा कोई संकेत नहीं है जो यह सुझाव दे कि विधायिका का इरादा पुनर्मूल्यांकन करने की नई योजना का है। केवल 01.04.2021 के बाद की अवधि के लिए लागू होगा। ऐसे किसी संकेत के अभाव में 01.04.2021 के बाद जारी किए गए सभी नोटिस ऐसे प्रावधानों के अनुसार होने चाहिए। दोहराने के लिए, हमें वैधानिक प्रावधानों की योजना में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जो यह बताता हो कि पिछले प्रावधान प्रतिस्थापन से पहले मूल्यांकन अवधि के लिए प्रतिस्थापन के बाद भी लागू होते रहेंगे। वास्तव में इसके विपरीत मजबूत संकेत हैं। हमें याद होगा कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा को प्रतिस्थापित धारा 149 के तहत संशोधित किया गया है। धारा 149 की उप-धारा (1) का खंड(क) ऐसी अवधि को मूल रूप से प्रचलित चार वर्ष के बजाय तीन वर्ष तक कम कर देता है। सामान्य परिस्थितियों में। खंड (ख) उन मामलों में पहले से प्रचलित छह वर्ष की ऊपरी सीमा को दस वर्ष तक बढ़ाता है, जहां कर के दायरे में आने वाली आय, जो मूल्यांकन से बच गई है, 50 लाख या उससे अधिक होने की संभावना है। धारा 149 की उप-धारा (1) इस प्रकार अनुबंध के साथ-साथ धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा का विस्तार भी करती है, यह इस प्रश्न पर निर्भर करता है कि मामला खंड(क) या खंड (ख) के अंतर्गत आता है या नहीं। इस संदर्भ में धारा 149(1) का पहला प्रावधान यह बताता है कि 01.04.2021 को या उससे पहले शुरू होने वाले प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के मामले

में किसी भी समय धारा 148 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा यदि ऐसा नोटिस उस समय जारी नहीं किया जा सकता था। धारा 149 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट समय सीमा से परे होने के कारण समय, क्योंकि वे वित्त अधिनियम, 2021 के शुरू होने से ठीक पहले थे। इस प्रावधान के अनुसार इस प्रकार कोई नोटिस नहीं है धारा 149(1) के नव प्रतिस्थापित खंड (ख) में निर्धारित सीमा की बड़ी अवधि का सहारा लेकर पिछले मूल्यांकन वर्षों के लिए धारा 148 जारी की जाएगी। इससे संकेत मिलेगा कि 01.04.2021 के बाद जो नोटिस जारी किया जाएगा वह प्रतिस्थापित धारा 149(1) के संदर्भ में होगा, लेकिन मूल धारा 149(1) में प्रदान की गई ऊपरी समय सीमा का उल्लंघन किए बिना, जो प्रतिस्थापित थी। वित्त विधेयक में प्रस्तावित प्रावधानों को समझाते हुए ज्ञापन में इस पहलू पर भी प्रकाश डाला गया है। यदि पिछली अवधि के राजस्व के अनुसार संशोधन से पहले धारा 149 के प्रावधान लागू थे, तो धारा 149(1) का यह पहला प्रावधान पूरी तरह से अनावश्यक था। दोनों कोणों से देखने पर, प्रतिस्थापन के बाद पिछले प्रावधानों के बचे रहने का कोई संकेत नहीं है और वास्तव में इसके विपरीत एक सक्रिय संकेत है, अपरिहार्य निष्कर्ष जिस पर हमें पहुंचना चाहिए वह यह है कि 01.04.2021 के बाद धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की किसी भी कार्रवाई के लिए वित्त अधिनियम, 2021 के तहत नए शुरू किए गए प्रावधान लागू होंगे। धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा बढ़ाने मात्र से कानून में प्राप्त इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी भी परिस्थिति में खण्ड में विस्तारित अवधि उपलब्ध नहीं है। धारा 149 की उप-धारा (1) के (ख) जिसे हम याद कर सकते हैं, राजस्व के साथ पहले उपलब्ध 6 वर्षों के बजाय अब 10 वर्ष है, पिछली अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सेवा में लगाया जा सकता है। यह धारा 149 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक के स्पष्ट अर्थ से प्रवाहित होता है। स्पष्ट शब्दों में एक नोटिस जो तत्कालीन प्रचलित प्रावधानों के अनुसार 01.04.2021 से पहले कालातीत हो गया था, उसके आधार पर पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। धारा 149(1)(ख) का लागू होना 01.04.2021 से प्रभावी। वर्तमान मामलों में जारी किए गए सभी नोटिस 01.04.2021 के बाद के हैं और

अधिनियम की धारा 148क में निहित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किए गए हैं और इसलिए अमान्य हैं।

38. हमारे द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न इसी संदर्भ में उठता है। क्या सीबीडीटी की दिनांक 31.03.2021 और 27.04.2021 की दोनों अधिसूचनाओं में निहित स्पष्टीकरण से राजस्व की स्थिति बच जाएगी?

39. यह अच्छी तरह से तय है कि एक कानून की संवैधानिकता की धारणा है (जम्मू और कश्मीर राज्य, बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य, एआईआर 1974 एससी 1 में प्रकाशित संविधान पीठ के निर्णय को देखें)। संवैधानिकता की धारणा का उक्त सिद्धांत प्रत्यायोजित विधान के भाग पर भी लागू होता है। सेंट जॉन्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाम क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और अन्य (2003) 3 एससीसी 321 में प्रकाशित मामले में, यह देखा गया कि अधीनस्थ विधान की शक्तियों पर विचार करने में यह अच्छी तरह से तय है कि किसी को इस धारणा के साथ शुरू करना चाहिए कि यह इंटर वायर्स है और यदि यह दो के लिए खुला है, जिनमें से एक इसे वैध और अन्य अमान्य बना देगा, अदालतों को उस निर्माण को अपनाना चाहिए जो इसे वैध बनाता है। तथापि, यह भी उतना ही सुस्थापित है कि अधीनस्थ विधान को संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के समान उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को केवल विधायी क्षमता से परे होने या मौलिक अधिकारों या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। चुनौती का तीसरा आधार, जिसे अब 2017 9 एससीसी 1 में रिपोर्ट किए गए शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में फैसले में मान्यता दी गई है, कानून का स्पष्ट रूप से मनमाना है। अधीनस्थ विधान को इन सभी आधारों पर और साथ ही इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह उस संविधि के अनुरूप नहीं है जिसके तहत इसे बनाया गया है या यह अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है या यह विषय वस्तु पर लागू कुछ कानूनों के विपरीत है। जे.के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2007) 13 एससीसी 673 में प्रकाशित मामले में निम्नानुसार देखा गया था कि यह है।

“63. प्रारंभ में, हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं (हमारी अर्थव्यवस्था में आय असमानताओं सहित) के कारण प्रत्यायोजन की शक्ति समग्र रूप से विधायी शक्ति का एक घटक तत्व बन गई है। तथापि, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम भारत संघ (1985) 1 एससीसी 641 में पृष्ठ 689 पर प्रकाशित मामले में अधीनस्थ विधान में उतनी उन्मुक्ति नहीं होती है जितनी सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित संविधि में प्राप्त होती है। अधीनस्थ विधान पर किसी भी आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर पूर्ण विधान पर प्रश्न उठाया जाता है। इसके अलावा, इस आधार पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि यह उस कानून के अनुरूप नहीं है जिसके तहत इसे बनाया गया है। इस आधार पर आगे प्रश्न उठाया जा सकता है कि यह अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है या यह उसी विषय पर लागू किसी अन्य कानून के विपरीत है। इसलिए, इसे पूर्ण विधान के आगे झुकना होगा। इस आधार पर भी सवाल उठाया जा सकता है कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना और अन्यायपूर्ण है। कि, इसकी शक्तियों की कोई भी जांच उन आधारों तक सीमित होनी चाहिए जिन पर पूर्ण विधान पर सवाल उठाया जा सकता है, इस आधार पर कि यह उस संविधि के विपरीत है जिसके तहत इसे बनाया गया है, इस आधार पर कि यह अन्य सांविधिक प्रावधानों के विपरीत है या इस आधार पर कि यह इतना स्पष्ट रूप से मनमाना है कि इसे कानून के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। इसे इस आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।”

40. इस पृष्ठभूमि के साथ हम छूट अधिनियम, 2020 और सीबीडीटी द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं पर वापस लौट सकते हैं। हम याद कर सकते हैं कि छूट अधिनियम, 2020 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट अधिनियमों में कार्रवाई करने और अनुपालन करने की समय सीमा को 31.12.2020 तक बढ़ाते हुए केंद्र सरकार को इसे अधिसूचना जारी कर आगे का समय बढ़ाने की शक्ति दी गई थी। यह केंद्र सरकार में निहित एकमात्र शक्ति थी। प्रत्यायोजित विधान के

एक भाग के रूप में ऐसी शक्तियों के प्रयोग में जारी अधिसूचनाएँ, ऐसी शक्तियों के दायरे में होनी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में शिथिलीकरण अधिनियम, 2020 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत भारत सरकार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करके समय सीमा बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया था। आयकर अधिनियम के प्रावधानों को छूने वाला कोई भी स्पष्टीकरण जारी करना इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं था। सीबीडीटी ने दिनांक 31.03.2021 और 27.04.2021 को अधिसूचना जारी करते समय एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्टीकरण के माध्यम से प्रदान किया गया कि धारा 149 या 151 में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के प्रयोजनों के लिए, प्रावधान इस प्रकार हैं: वे वित्त अधिनियम, 2021 के लागू होने से पहले 31.03.2021 तक खड़े थे, स्पष्ट रूप से एक अधीनस्थ कानून के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गए। अधीनस्थ कानून मूल अधिनियम द्वारा भारत सरकार में निहित शक्तियों से आगे नहीं बढ़ सकता था। अन्यथा भी यह बेहद संदिग्ध है कि क्या स्पष्टीकरण की आड़ में स्पष्टीकरण वैधानिक प्रावधानों के आधार को बदल सकता है। यदि वैधानिक प्रावधान और उसकी व्याख्या का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट है, तो स्पष्टीकरण में अलग स्थिति अपनाकर और इसे स्पष्ट करने वाला बताकर, अधीनस्थ विधायिका को मूल अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार, ये स्पष्टीकरण असंवैधानिक हैं और अमान्य घोषित किये गये हैं।

41. जैसा कि उल्लेख किया गया है, इलाहाबाद और दिल्ली उच्च न्यायालयों की दो खंडपीठों ने समान दृष्टिकोण अपनाया है। कलकत्ता और इस उच्च न्यायालय के दो विद्वान एकलपीठ ने इस प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। स्वतंत्र रूप से भी हमारी यही मान्यता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हम जानते हैं कि **पलक खाटूजा (सुप्रा.)**⁷ में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एकलपीठ ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। उच्च न्यायालय का विचार था कि विवादित नोटिस वैध थे क्योंकि दिनांक 31.03.2021 और 27.04.2021 की अधिसूचनाओं के आधार पर धारा 148 का आवेदन जो मूल रूप से संशोधन से पहले मौजूद था, स्थगित कर दिया गया था। इसे आगे इस प्रकार देखा गया:-

“उपरोक्त अधिसूचना को पढ़ने से पता चलेगा कि यह कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था और धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने का समय था, अंतिम तिथि शुरू में बढ़ा दी गई थी 30 अप्रैल 2021 तक और उसके बाद फिर से 27 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना द्वारा 30 अप्रैल 2021 की समय सीमा को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया। ऐसी अधिसूचना के प्रभाव से, धारा 148 की व्यक्तिगत पहचान, जो कि धारा 148क के संशोधन और सम्मिलन से पहले प्रचलित था, को 30.06.2021 तक अछूता और सहेजा गया था।

सम्मान के साथ, हम स्थिति के इस विश्लेषण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सीबीडीटी द्वारा जारी दिनांक 31.03.2021 और 01.04.2021 की अधिसूचनाओं के आधार पर हमारी समझ में, वित्त अधिनियम, 2021 के तहत तैयार किए गए पुनर्मूल्यांकन प्रावधानों के प्रतिस्थापन को स्थगित नहीं किया गया था और न ही उन्हें स्थगित किया जा सकता था। 7 (2021) 438 आईटीआर 622। इस तरह के संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि 01.04.2021 बनी रही।

42. परिणाम में, हम पाते हैं कि संबंधित याचिकाओं में लगाए गए नोटिस अमान्य और कानून में खराब हैं। इन्हें रद्द कर अलग रखा जाता है। विद्वान एकलपीठ ने इन नोटिसों को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की। सभी रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है। राजस्व की अपील खारिज कर दी जाती है। लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटान कर दिया गया है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

(अकील कुरैशी), मुख्य न्यायाधीश

KAMLESH KUMAR

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग

नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।